

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 अगस्त 2024—भाद्र 6, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

F3-10-2009-सत्रह-M-1

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परीवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा भरती नियम, 1989 तथा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परीवार कल्याण (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा भरती नियम, 2023 जो राजपत्र दिनांक 4 मार्च, 2024 में प्रकाशित हुए थे, को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय-श्रेणी लिपिकीय तथा गैरलिपिकीय सेवा भरती नियम, 2024 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक (क) तथा अनुसूची-एक (ख) के कालम (6) में यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
- (ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड;
- (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
- (घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश;

- (ड) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार (क) तथा अनुसूची-चार (ख) के कालम (5) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली विभागीय पदोन्नति समिति;
- (च) "दिव्यांग व्यक्ति" से अभिप्रेत है, वे व्यक्ति, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के उपबंधों के अन्तर्गत आते हैं;
- (छ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डबल्यू.एस)" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 2 जुलाई, 2019 तथा परिपत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 18 जुलाई, 2019 तथा समय-समय पर जारी किसी अन्य आदेश में यथा विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई नगरीक;
- (ज) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा;
- (झ) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गयी थी अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था।
- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) भूतपूर्व सैनिक जो देश की सेना में छह माह तक लगातार सेवा में रहा हो तथा किसी कदाचार के कारण निर्मुक्त नहीं किया गया हो;
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें:-
- (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
- (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;
- सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (4) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो;

- (ज) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ट) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ठ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ड) "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था;
- (ढ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां;
- (ण) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति या जाति समुदाय अथवा ऐसी जाति या जाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (त) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन, मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (था) "सेवा" से अभिप्रेत है, लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी लिपिकीय तथा गैरलिपिकीय, सेवा;
- (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।
3. **विस्तार तथा लागू होना.**— मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक (क) तथा अनुसूची-एक (ख) में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।
5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—
- सेवा का वर्गीकरण, उनसे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक (क) तथा एक (ख) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी: तथा वित्त विभाग के उपबंधों के अनुसार समयमान वेतमान की पात्रता होगी:
- परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका.—

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—
 - (क) चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा सामान्यतः बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की विशिष्ट अनुमति के साथ आयोजित अन्य चयन परीक्षा द्वारा;
 - (ख) अनुसूची चार (क) तथा अनुसूची चार (ख) के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा में नियुक्त सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूल रूप से धारण कर रहे हैं, जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक (क) तथा अनुसूची-एक (ख) में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो (क) एवं दो (ख) में दर्शित प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।
- (3) उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा जिनकी नियुक्त संविदा आधार पर की गई है, लेकिन ऐसे आरक्षण का लाभ इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों द्वारा केवल एक बार ही उठाया जा सकेगा। समकक्ष या उच्चतर पद पर अनुबंध के आधार पर प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में छूट के हकदार होंगे, वह आयु सीमा आवेदन की तिथि या पद भरने के लिए जारी विज्ञापन में उल्लिखित तिथि के अनुसार सभी छूटों सहित अधिकतम आयु होगी, ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) संविदा पर नियुक्त ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत, जिन्होंने विभाग में सीधी भर्ती के समतुल्य पदों पर पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है या सीधी भर्ती के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत (इनमें से जो भी निम्नतर हो), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 22 जुलाई, 2023 द्वारा संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यदि एक बार उन्होंने इन अनुदेशों या पूर्व में निर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन आरक्षण सुविधा का लाभ प्राप्त कर लिया है, तो वे पुनः लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- (5) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका, जिनका कि भर्ती के किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(6) मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/एपी/एक, दिनांक 2 जुलाई, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को तथा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

7. सेवा में नियुक्ति.-

इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती को तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के सिवाय नहीं की जाएगी।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.-

सीधी भर्ती के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात्.-

(1) आयु.- न्यूनतम आयु, ऊपरी आयु तथा ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(क) अभ्यर्थी ने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तिथि के आगामी जनवरी के प्रथम दिन अनुसूची-तीन (क) तथा अनुसूची-तीन (ख) के कॉलम (3) में यथादर्शित आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथादर्शित आयु प्राप्त नहीं की हो;

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) विक्रम पुरस्कार धारकों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2024 के अंतर्गत पुरस्कृत अनारक्षित श्रेणी के साथी के संबंध में सामान्य ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) शासकीय/निगम/बोर्ड/स्वशासी निकाय और नगर सैनिक के अधीन कार्यरत पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों तथा आरक्षित श्रेणी के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों और विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा सहित सभी महिला अभ्यर्थियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी:

परन्तु किसी भी संवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा, सभी शिथिलताओं सहित, किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(छ) दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए गए अनुसार शिथिलनीय होगी;

(ज) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक, भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह ऊपरी आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

(झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवाओं की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो;

(ञ) स्वयंसेवी होम गार्ड्स और होम गार्ड्स के गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में, ऊपरी आयु सीमा में इस प्रकार की गई सेवा की अवधि के बराबर शिथिलनीय होगी, परंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं—

(क) अभ्यर्थी के पास इसके साथ संलग्न अनुसूची—तीन (क) तथा अनुसूची—तीन (ख) में यथादर्शित सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए:

परन्तु—

(एक) आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी, चयन समिति/बोर्ड की अनुशंसा पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकेगा, जो यद्यपि विहित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता नहीं रखता है, किन्तु जिसने किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जिससे कि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र हो; और

(दो) ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए भी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियाँ प्राप्त की हैं, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

(ग) आवेदित पद के लिए अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता का चयन करना होगा, यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में अर्ह हो जाता है, किन्तु वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं करता है, तो ऐसी दशा में, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी और अन्य किसी पद के लिए अहस्तांतरणीय होगी तथा संपूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा।

(3) फीस.— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/सरकार द्वारा विहित की गई, समय-समय पर यथा पुनरीक्षित, फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हताएं.—

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड/समिति द्वारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के लिए उसकी निरर्हता माना जा सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्ह होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, उनमें से एक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् जन्मी हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु ऐसा कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्ह नहीं होगा, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है और अगला प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् होता है, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा के लिए निरर्ह होगा:

परंतु यदि आपराधिक कार्यवाहियां किसी न्यायालय में लम्बित हैं, तो उसकी नियुक्ति तब तक रोकी जाएगी, जब तक कि ऐसी आपराधिक कार्यवाहियों का निराकरण नहीं हो जाता है।

- (5) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के लिए निरहं होगा।
- (6) कोई अन्य कारण, जो राज्य शासन द्वारा विहित किया जाए।

10. पात्रता के संबंध में विनिश्चय.—

परीक्षा/साक्षात्कार के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड/समिति का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी अभ्यर्थी को जिसे निरहं कर दिया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. सीधी भर्ती द्वारा अभ्यर्थियों का चयन.—

- (1) सेवा में भर्ती के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे समयांतरों पर आयोजित की जाएगी, जैसा कि शासन आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे। परीक्षा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी।
- (2) आरक्षण का लाभ देते हुए संयुक्त खुली सूची जारी करने के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की एक पृथक सूची जारी की जाएगी, जिसमें संबंधित आरक्षित प्रवर्गों के पात्र अभ्यर्थियों के नाम भी पृथक-पृथक क्षैतिज आरक्षण के अनुसार सम्मिलित किए जाएंगे।
- (3) यदि कोई आरक्षित प्रवर्ग का अभ्यर्थी, अर्थात् महिला/भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग अभ्यर्थी उसकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग में रखा जाता है/जाती है तो उसकी गणना अनारक्षित क्षैतिज प्रवर्ग में की जाएगी। इसके पश्चात्, प्रवर्गवार सूची में क्षैतिज आरक्षण केवल संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और भूतपूर्व सैनिक अपने-अपने प्रवर्गों में स्थान प्राप्त करने में समर्थ होंगे।
- (4) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों, 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों और 27 प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे। केन्द्र सरकार के संविधान (एक सौ तीनवा संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार उक्त आरक्षित पदों में दस प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तथा समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1977 के नियम 3 के संशोधित उप-नियम (1) के अनुसार 35 प्रतिशत पद क्षैतिज रूप से एवं कम्पार्टमेंट-वाइस महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

- (5) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय ऐसे अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति से अन्य अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरी जाएंगी।
- (7) राज्य सरकार द्वारा यथा घोषित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के उपबंध क्वैतिज और कंपार्टमेंट वाइस होंगे।

12. सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची की विधिमान्यता की अवधि.—

किसी भी भर्ती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची, अंतिम सूची की घोषणा से 18 माह की अवधि या आगामी वर्ष के परिणामों की घोषणा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के लिए विधिमान्य होगी, इसके पश्चात् अंतिम सूची अविधिमान्य हो जाएगी।

13. सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया और नियुक्ति.—

- (1) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग उपाधि/शैक्षणिक, तकनीकी और वृत्तिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करेगा।
- (2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों, चरित्र प्रमाण-पत्र और नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे।

14. परिवीक्षा.—

सीधी भर्ती द्वारा सेवा में चयनियत किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। इस अवधि के दौरान प्रथम वर्ष के लिए पद के न्यूनतम वेतनमान की 70 प्रतिशत राशि, द्वितीय वर्ष के लिए 80 प्रतिशत और तृतीय वर्ष के लिए 90 प्रतिशत वेतन के रूप में देय होगी। पद के वेतनमान में वेतन परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ होगा।

15. चयन समिति/बोर्ड/आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.—

- (1) बोर्ड/आयोग, उन अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों, जैसा कि बोर्ड/आयोग अवधारित करे, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों, जो यद्यपि उस स्तर से अर्ह नहीं हैं,

किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, बोर्ड/आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में एक सूची शासन को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

16. आरक्षण.—

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (वर्तीकल) निम्नानुसार लागू होगा:—

अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत

स्पष्टीकरण.—

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया आदर्श आरक्षण रोस्टर, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले राज्य स्तर के पदों/संवर्गों के लिए लागू होगा।

17. क्षैतिज आरक्षण.—

- (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- (ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 एवं दिव्यांग व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ/8/2001/आ0प्र0/एक(पार्ट) दिनांक 03.07.2018 एवं 17.09.2018 के अनुसार 6 प्रतिशत क्षैतिज (हारीजेन्टल) आरक्षण दिया जाएगा।

- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा तृतीय-श्रेणी और चतुर्थ-श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को क्रमशः तृतीय-श्रेणी के पदों के लिए दस प्रतिशत और चतुर्थ-श्रेणी के पदों के लिए बीस प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।

18. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.-

- (1) पदोन्नति की कार्यवाहियां, मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/आदेशों के अनुसार होगी।
- (2) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसमें अनुसूची-चार(क) और अनुसूची चार(ख) के कालम (5) में उल्लिखित सदस्य होंगे।
- (3) आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति करने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।
- (4) समिति वर्ष में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगी।

19. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.-

- (1) नियम 18 के उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को अनुसूची चार (क) और अनुसूची चार (ख) के कॉलम 2 में उल्लिखित उन पदों या सेवाओं पर या किसी अन्य पद या पदों में, जिन्हें शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किया गया हो, उतने वर्ष की, सेवा (मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) पूर्ण कर ली हो तथा जो नियम 18 के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।
- (2) पदोन्नति के संबंध में चयन का क्षेत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियमों/अनुदेशों के अनुसार होगा।

20. आयोग/बोर्ड के साथ परामर्श.-

विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप खंड (ख) के अधीन आयोग/बोर्ड के साथ परामर्श की अपेक्षाओं का अनुपालन समझा जाएगा तथा आयोग/बोर्ड के साथ पृथक से परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

21. चयन सूची.-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गयी सूची पर विचार करेगा और यदि वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो सूची को अनुमोदित करेगा।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, उसके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा अंतिम रूप से यथाअनुमोदित सूची अनुसूची-चार (क) और अनुसूची-चार (ख) के कॉलम (2) में उल्लिखित किए गए पदों से अनुसूची-चार (क) तथा अनुसूची चार (ख) के कॉलम (3) में उल्लिखित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।
- (4) चयनसूची, जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और यदि समिति उचित समझे, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

22. योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—

- (1) योग्य अभ्यर्थियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों/अनुदेशों के अनुसार तैयार की जाएगी। सूची में सम्मिलित किए गए चयनित अभ्यर्थियों के नाम, ऐसी चयन सूची को तैयार करने के समय वरिष्ठता के आधार पर पदों की सेवा के क्रम में रखे जाएंगे:
परन्तु ऐसा कोई कनिष्ठ व्यक्ति, जो विभागीय पदोन्नति समिति की राय में विशिष्ट रूप से अर्ह और योग्य है, उसे तुलनात्मक रूप से उच्च स्थान दिया जाएगा।
- (2) कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, किन्तु जो सूची की विधिमानता के दौरान पदोन्नत नहीं किया जाता है, उसका उन व्यक्तियों के ऊपर मात्र उसके पूर्व के चयन के आधार वरिष्ठता का दावा नहीं होगा, जिन पर कि पश्चात्वर्ती चयन में विचार जाए।
- (3) यदि यथास्थिति, चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में सेवा के किसी सदस्य को अतिष्ठित करना प्रस्तावित हो, तो विभागीय पदोन्नति समिति प्रस्तावित अतिष्ठित के कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।
- (4) इस प्रकार प्रस्तावित सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित की जाएगी।

23. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—

- (1) चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवा के संवर्ग में दर्शित पदों पर नियुक्ति नियम 22 के उप नियम (1) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित होने और प्रस्तावित नियुक्ति के बीच की अवधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में उसकी नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त बनादे।

24. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

25. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती हैं :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

26. **व्यावृत्ति.**—

इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

27. **निरसन.**—

इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची-एक (क)

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या
लिपिकवर्गीय संवर्ग-संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रवर्ग-1						
1.	अधीक्षक	10	तृतीय-श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 4200 सातवा वेतनमान लेवल नं.10 (42700-135100)	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ- / 8.1.2015 / नियम / 4, दिनांक 7.6.2018 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान / ग्रेड पे को 1.1.2016 से क्रियान्वित किया जाएगा तथा नगद लाभ 1.7.2018 से दिए जाएंगे (अगस्त 2018 में देय)। काल्पनिक वेतन वृद्धि 01.01.2016 से 30.06.2018 तक की अवधि के लिए दी जाएगी।
2.	सहायक अधीक्षक	5	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 3600 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 9 (36200-114800)	तदैव	अनुक्रमांक 1 के कॉलम (1) और सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ / 2.6 / 1 / व्ही.ए.पी. / 96 दिनांक 5 / 7 अक्टूबर, 2006 के सदृश टिप्पणी। दिनांक 1.4.2006 से वेतनमान लागू किए गए समझे जाएंगे।
3.	सहायक ग्रेड-1 / सहायक ग्रेड-1 (कुष्ठ)	25	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 7 (28700-91300)	तदैव	-
4.	सहायक ग्रेड-2	57	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 6 (25300-80500)	तदैव	-
5.	सहायक ग्रेड-3	88	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 1900 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 4 (19500-62000)	तदैव	-
6.	सहायक भंडारी (स्टोर कीपर)	1	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 1900 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 4 (19500-62000)	तदैव	-

7.	तकनीकी सहायक (इ.पी. आई.)	1	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 1900 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 4 (19500-62000)	तदैव	-
8.	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता	16	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 7 (28700-91300)	तदैव	सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ / 2. 6/1/व्ही.ए.पी./96 दिनांक 5/7 अक्टूबर, 2006 वेतनमान दिनांक 1.4.2006 से लागू किए गए समझें जाएंगे।
प्रवर्ग-2						
1.	भंडार निरीक्षण अधिकारी	2	तृतीय-श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 3600 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 9 (36200-114800)	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	
2.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक (कनिष्ठ लेखा परीक्षक-6 पद समाहित)	12	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 3200 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 8 (32800-103600)	तदैव	सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ / 2. 6/1/व्ही.ए.पी./96 दिनांक 5/7 अक्टूबर, 2006। दिनांक 1.4.2006 से वेतनमान लागू किए गए समझें जाएंगे। ये पुनरीक्षित वेतनमान भविष्य की पदोन्नतियों/भर्तियों के लिए लागू होंगे
3.	वरिष्ठ लेखापाल	2	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 3200 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 8 (32800-103600)	तदैव	-
4.	लेखापाल (मुख्य लेखापाल 1 पद समाहित)	10	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 7 (28700-91300)	तदैव	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8. 6/2015/नियम/4 दिनांक 19.07.2017 के अनुसार पद संरचना, वेतनमान और लिपिकवर्गीय सेवाओं (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृद्) की पदोन्नति दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त होगी।
5.	कनिष्ठ लेखापाल (क्रय)/कनिष्ठ लेखापाल (भंडार)	2	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2100 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 5 (22100-70000)	तदैव	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रवर्ग-3						
1.	निज सहायक	13	तृतीय-श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 3600 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 9 (36200-114800)	तदैव	-
2.	शीघ्रलेखक (हिन्दी) तृतीय-श्रेणी	5	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 7 (28700-91300)	तदैव	-
3.	शीघ्रलेख (अग्रेंजी)	1	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 7 (28700-91300)	तदैव	-
4.	स्टेनोटायापिस्ट	2	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 1900 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 4 (19500-62000)	तदैव	-
प्रवर्ग-4						
1.	उप-सम्पादक	1	तृतीय-श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 6 (25300-80500)	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	-
2.	प्रचार सहायक (बी.सी.जी.)	1	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 6 (25300-80500)	तदैव	-
प्रवर्ग-5						
1.	सहायक प्रोग्रामर	2	तृतीय-श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 7 (28700-91300)	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	-
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	3	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 5200-20200 + ग्रेड पे 2100 सातवा वेतनमान लेवल क्रमांक 5 (22100-70000)	तदैव	-

टीप :- * मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8.6/2015/नियम/4, दिनांक 19.07.2017 के अनुसार नई संरचना में, कनिष्ठ अंकेक्षक का वेतनमान लेखापाल के पद के समतुल्य अर्थात् 5200-20200+ ग्रेड पे रु. 2800 किया गया है। विभाग के अधीन 5200-20200+ग्रेड पे रु. 2800 के वेतनमान में कनिष्ठ अंकेक्षक के पद की पूर्व स्वीकृति और लेखापाल के पद से उक्त पद पर पदोन्नति के उपबंधों के फलस्वरूप कनिष्ठ अंकेक्षक के 09 पदों में से 6 पद नए उपबंध के अनुसार लेखापाल के पद से परिवर्तित कर दिए गए हैं। आगामी पदोन्नति वाले पदों को वरिष्ठ अंकेक्षक के पद में समाहित करने और शेष 03 पदों को शासन को सौंपने का विनिश्चय किया है।

अनुसूची-एक (ख)

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या
संभागीय/जिला स्तर पर लिपिकवर्गीय
संबंधित संगठन/संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, अधीनस्थ कार्यालय

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कार्यालय अधीक्षक	7	तृतीय-श्रेणी	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 4200 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 10 (42700-135100)	क्षेत्रीय संचालक	मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का आदेश क्रमांक एफ/8. 1.2015/नियम/4, दिनांक 07.06.2018, पुनरीक्षित वेतनमान /ग्रेड पे को 01.01. 2016 से क्रियान्वित किया जाएगा तथा नगद लाभ 1.7.2018 से दिए जाएंगे (अगस्त 2018 में देय)। काल्पनिक वेतन वृद्धि 01.01.2016 से 30.06. 2018 तक की अवधि के लिए दी जाएगी।
2.	सहायक अधीक्षक	5	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 3600 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 9 (36200-114800)	तदैव	तदैव
3.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	4	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 3600 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 9 (36200-114800)	तदैव	तदैव
4.	प्रबंधक चिकित्सा भण्डार	1	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700-91300)	तदैव	तदैव
5.	लेखा परीक्षक (वरिष्ठ संपरीक्षक)	7	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 3200 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 8 (32800-103600)	तदैव	मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ-2-6/1/व्ही.ए. पी./96, दिनांक 05/17 अक्टूबर, 2006 और मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का

						परिपत्र क्रमांक एफ/8-6/2015/नियम/4, दिनांक 19.07.2017 पद संरचना, वेतनमान और लिपिकवर्गीय सेवाओं (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद) की पदोन्नति 01 जनवरी, 2016 से लागू होगी।
6.	शिविर-समन्वयक (कैम्प कोऑर्डिनेटर)	17	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700-91300)	तदैव	-
7.	लेखापाल (एम.डी.टी.)	2	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700-91300)	तदैव	-
8.	सहायक ग्रेड-1 (मुख्य लिपिक)	92	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700-91300)	तदैव	-
9.	लेखापाल	783	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700-91300)	तदैव	मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ-2-6/1/व्ही.ए. पी./96, दिनांक 05/17 अक्टूबर, 2006 और मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ8-6/2015/नियम/4, दिनांक 19.07.2017 पद संरचना, वेतनमान और लिपिकवर्गीय सेवाओं (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद) की पदोन्नति 01 जनवरी, 2016 से लागू होगी।
10.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक (जूनियर आडीटर)	7	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 6 (25300-80500)	तदैव	-
11.	सहायक लेखापाल	50	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 6 (25300-80500)	तदैव	-

12.	लेखापाल-सह-भंडारी सह-लिपिक	436	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 6 (25300-80500)	तदैव	-
13.	सहायक ग्रेड-2/कैशियर (खजांची)	543	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 6 (25300-80500)	तदैव	-
14.	संगणक (कम्प्यूटर)	336	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2100 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 5 (22100-70000)	तदैव	-
15.	सहायक ग्रेड-3/ आहार लिपिक /सहायक स्टुवर्ड/ लिपिक-सह- टायपिस्ट/कम्प्यूटर- सह-लिपिक/ रिकार्ड कीपर	901	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 1900 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 4 (19500-62000)	1. क्षेत्रीय संचालक- उसके कार्यालय के पदों के लिए। 2. मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी -जिले के शेष पदों के लिए।	-
16.	डायटीशियन	33	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700-91300)	क्षेत्रीय संचालक	-
17.	स्टुवर्ड	71	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 6 (25300-80500)	-तदैव-	मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक/एफ-2-6/1 /व्ही.ए.पी./96, दिनांक 05/17 अक्टूबर, 2006 और मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ8-6/2015/ नियम/4, दिनांक 19. 07.2017 पद संरचना, वेतनमान और लिपिकवर्गीय सेवाओं (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृद्ध) की पदोन्नति 01 जनवरी, 2016 से लागू होगी।
18.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	131	तदैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-2 (9300-34800) + ग्रेड पे 3600 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 9 (36200-114800)	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं और शेष पदों के लिए क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं।	तदैव

19.	सांख्यिकीय अन्वेषक (ई.पी.आई.)	20	तद्वैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700-91300)	तद्वैव	मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ-2-6/1/व्ही.ए. पी./96, दिनांक 05/17 अक्टूबर, 2006 और मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ8-6/2015/ नियम/4, दिनांक 19. 07.2017 पद संरचना, वेतनमान और लिपिकवर्गीय सेवाओं (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद) की पदोन्नति 01 जनवरी, 2016 से लागू होगी।
20.	वरिष्ठ संगणक (सीनियर कम्प्यूटर) (कुष्ठ)/सांख्यिकीय अन्वेषक (कनिष्ठ)	11	तद्वैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2400 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 6 (25300-80500)	तद्वैव	-
21.	शीघ्रलेखक (हिन्दी) तृतीय-श्रेणी	35	तद्वैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 2800 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 7 (28700-91300)	क्षेत्रीय संचालक- उसके अधीनस्थ पदों के लिए	मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/12-44/1999 /सत्रह/चिकित्सा-3 दिनांक 22 अप्रैल, 2006 नए सृजित पदों की संख्या और वेतनमान अनुमोदित।
22.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	79	तद्वैव	छटवा वेतनमान पे बेन्ड-1 (5200-20200) + ग्रेड पे 1900 सातवा वेतनमान लेवल क्र. 4 (19500-62000)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	-

अनुसूची-दो (क)
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
				सीधी भरती द्वारा [नियम-6 (क) (क)]	पदोन्नति द्वारा [नियम-6(एक) (ख)]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम-6 (एक)(ग)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्रवर्ग-1							
1.	अधीक्षक	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय-श्रेणी लिपिकवर्गीय एवं अलिपिकवर्गीय सेवा	10	-	100 प्रतिशत	-	-
2.	सहायक अधीक्षक	तदैव	5	-	100 प्रतिशत	-	-
3.	सहायक ग्रेड-1/ सहायक ग्रेड-1 (कुछ)	तदैव	25	-	75 प्रतिशत	-	मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/ एफ-2-6/1/व्ही.ए.पी. /96, दिनांक 5/17 अक्टूबर, 2006 के अनुसार बिन्दु क्रमांक 5, 4, 6 के परिपेक्ष्य में सहायक ग्रेड-1 कुल स्वीकृत पदों में से सहायक ग्रेड-2 के पच्चीस रिक्त पद, जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, से सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे।
4.	सहायक ग्रेड-2	तदैव	57	-	100 प्रतिशत	-	-
5.	सहायक ग्रेड-3	तदैव	88	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा दी गई सूची से योग्यता के आधार पर।
6.	सहायक भंडारी	तदैव	1		(चतुर्थ-श्रेणी सेवा के लिए पात्र अभ्यर्थियों से) जिन्होंने पुरानी शिक्षा	-	
7.	तकनीकी सहायक (ई.पी. आई.)	तदैव	1			-	

					पद्धति के हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा पास की हो या हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धति से उत्तीर्ण की हो तथा नियमित सेवा के पाँच वर्ष पूर्ण होना चाहिए।		
8.	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकता	तदैव	16	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	-
प्रवर्ग-2							
1.	भंडार निरीक्षण अधिकारी	तदैव	2	-	100 प्रतिशत	-	
2.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक (सीनियर ऑडीटर)	तदैव	12	-	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा
3.	वरिष्ठ लेखापाल	तदैव	2	-	100 प्रतिशत	-	
4.	लेखापाल	तदैव	10	-	100 प्रतिशत	-	
5.	कनिष्ठ लेखापाल (क्रय)/कनिष्ठ लेखापाल (भंडार)	तदैव	2		100 प्रतिशत	-	
प्रवर्ग-3							
1.	निज सहायक	तदैव	13	-	100 प्रतिशत	-	-
2.	शीघ्रलेखक (हिन्दी) तृतीय-श्रेणी	तदैव	5	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत (रिक्त पद ऐसे स्टेनो टायपिस्ट की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जो अपेक्षित अर्हता रखते हों। यदि अपेक्षित अर्हता रखने वाले स्टेनो टायपिस्ट की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो	-	-

					पदोन्नति कोटे के शेष पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।)		
3.	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	तद्वैव	1	100 प्रतिशत	-	-	-
4.	स्टेनो टायपिस्ट	तद्वैव	2	100 प्रतिशत	-	-	-
प्रवर्ग-4							
1.	उप सम्पादक	तद्वैव	1	-	100 प्रतिशत	-	-
2.	प्रचार सहायक (बी.सी.जी.)	तद्वैव	1	100 प्रतिशत	-	-	-
प्रवर्ग-5							
1.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तद्वैव	3	100 प्रतिशत	-	-	-
2.	सहायक प्रोग्रामर	तद्वैव	2	-	100 प्रतिशत	-	-

अनुसूची-दो (ख)

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

संभाग/जिलास्तर - लिपिकवर्गीय संवर्ग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
				सीधी भरती द्वारा [नियम-6 (एक)(क) देखिए]	पदोन्नति द्वारा [नियम-6 (एक)(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम-6 (एक)(ग)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कार्यालय अधीक्षक	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (संभाग/जिला स्तर) तृतीय-श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा	7	-	100 प्रतिशत	-	
2.	सहायक अधीक्षक	तदैव	5	-	100 प्रतिशत	-	
3.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	तदैव	4	-	100 प्रतिशत	-	
4.	प्रबंधक चिकित्सा भण्डार	तदैव	1	-	100 प्रतिशत	-	
5.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक (सीनियर ऑडिटर)	तदैव	7	-	100 प्रतिशत	-	
6.	शिविर समन्वयक (कैम्प कोऑर्डिनेटर)	तदैव	17	-	100 प्रतिशत	-	
7.	लेखापाल (एम.डी.टी.)	तदैव	02	-	100 प्रतिशत	-	
8.	सहायक ग्रेड-1 (मुख्य लिपिक)	तदैव	92	-	100 प्रतिशत	-	
9.	लेखापाल	तदैव	783	-	100 प्रतिशत	-	
10.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक (जूनियर ऑडिटर)	तदैव	7	-	100 प्रतिशत	-	
11.	सहायक लेखापाल	तदैव	50	-	100 प्रतिशत	-	
12.	लेखापाल सह भंडारी सह लिपिक	तदैव	436	-	100 प्रतिशत	-	

13.	सहायक ग्रेड-2/केशियर (खजांची)	तदैव	543	-	100 प्रतिशत	-	
14.	कम्प्यूटर (संगणक)	तदैव	336	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	
15.	सहायक ग्रेड-3/आहार लिपिक/सहायक स्टुवर्ड/लिपिक-सह -टायपिस्ट/ कम्प्यूटर-सह- लिपिक/रिकार्ड कीपर	तदैव	901	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जिन्होंने पुरानी हायर सेकेण्डरी या 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
16.	डायटीशियन	तदैव	33	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	-
17.	स्टूवर्ड	तदैव	71	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	-
18.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	तदैव	131	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत	-	-
19.	सांख्यिकीय अन्वेषक (ई.पी.आई.)	तदैव	20	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	-
20.	वरिष्ठ संगणक (सीनियर कम्प्यूटर)/सांख्यिकीय अन्वेषक (कनिष्ठ)	तदैव	11	100 प्रतिशत	-	-	-
21.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	तदैव	35	100 प्रतिशत	-	-	-
22.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	तदैव	79	100 प्रतिशत	-	-	-

अनुसूची-तीन (क)
(नियम 8 देखिए)

सौधी भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की आयु तथा अर्हता
लिपिकवर्गीय-संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रवर्ग-1					
1.	सहायक ग्रेड-3/सहायक भंडारी/तकनीकी सहायक ग	18 वर्ष	40 वर्ष	<p>1. अभ्यर्थी को 10+2 पद्धति के अंतर्गत 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p> <p>2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p> <p>3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :- (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी.से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण-पत्र।</p> <p>4. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हताएं भी विधिमानी होंगी:- (एक) बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी.सी.एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.)एम.टेक/एम.ई. इत्यादि। (दो) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नलाजी इत्यादि।</p> <p>5. बी.एस.सी./बी.कॉम. डिग्रीयां जिसमें कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p>	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-3-7/2015/1/3, दिनांक 29.05.2019 में अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बी.एस.सी की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक बी.एस.सी की परीक्षा आई.टी./कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी./कम्प्यूटर साइंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।

<p>2. /1</p>	<p>शीघ्रलेखक (हिन्दी) तृतीय-श्रेणी</p>	<p>18 वर्ष</p>	<p>40 वर्ष</p>	<p>1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण। 2. मान्यताप्राप्त संस्था/परिषद से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शार्टहेण्ड उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र। 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :- (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र। 5. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी विधिमान्य होगी :- (एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि। (दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी इत्यादि। 6. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिसमें कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p>	<p>मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-3-7/2015/1/3, दिनांक 29.05.2019 में अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बी.एस.सी की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक बी.एस.सी की परीक्षा आई.टी./कम्प्यूटर साईंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी./कम्प्यूटर साईंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।</p>
<p>3.</p>	<p>शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)</p>	<p>18 वर्ष</p>	<p>40 वर्ष</p>	<p>1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण। 2. मान्यताप्राप्त संस्था/परिषद से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र। 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p>	<p>मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-3-7/2015/1/3, दिनांक 29.05.2019 में अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है,</p>

				<p>4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :-</p> <p>(एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।</p> <p>(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।</p> <p>(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।</p> <p>5. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-</p> <p>(एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि।</p> <p>(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी इत्यादि।</p> <p>6. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिलमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।</p>	<p>अपितु केवल बी.एस.सी की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक बी.एस.सी की परीक्षा आई.टी/कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी/कम्प्यूटर साइंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी.(आई.टी/सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।</p>
4.	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता	21 वर्ष	40 वर्ष	अर्थशास्त्र, गणित वाणिज्य अथवा सांख्यिकीय विषय में स्नातक उपाधि अथवा बी.ई./बी.टेक. डिग्री	-
5.	स्टेनोग्राफिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	<p>1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण।</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्था/परिषद से 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शार्टहैंड।</p> <p>3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p> <p>4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :-</p> <p>(एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p>	<p>मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-3-7/2015/1/3, दिनांक 29.05.2019 में अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी.(आई.टी/सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बी.एस.सी की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक</p>

				<p>(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।</p> <p>(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।</p> <p>(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।</p> <p>5. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-</p> <p>(एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि।</p> <p>(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी इत्यादि।</p> <p>6. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिसमें कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p>	<p>बी.एस.सी की परीक्षा आई.टी/कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी/कम्प्यूटर साइंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी.(आई.टी/सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।</p>
प्रवर्ग-4					
6.	प्रचार सहायक (बी.सी.जी.)	18 वर्ष	40 वर्ष	<p>1. हिन्दी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र विषय के साथ कला स्नातक।</p> <p>2. पत्रकारिता में तीन वर्ष का अनुभव।</p>	-
प्रवर्ग-5					
7.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21 वर्ष	40 वर्ष	<p>1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण।</p> <p>2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p> <p>3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :-</p> <p>(एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p>	<p>मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-3-7/2015/1/3, दिनांक 29.05.2019 में अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी.(आई.टी/सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बी.एस.सी की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक बी.एस.सी. की परीक्षा आई.टी/कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन</p>

			<p>(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।</p> <p>(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।</p> <p>(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।</p> <p>4. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-</p> <p>(एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी.सी.एस.) / *बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) एम. टेक/एम.ई.इत्यादि।</p> <p>(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी इत्यादि।</p> <p>5. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिसमें कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p> <p>7. ऑन लाईन डाटा एन्ट्री कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>8. मिनी एवं माइक्रो कम्प्यूटर हैंडलिंग का अनुभव।</p> <p>9. प्रोग्रामिंग भाषा का अनुभव।</p>	<p>कर परीक्षा उत्तीर्ण है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी./कम्प्यूटर साइंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।</p>
--	--	--	--	--

अनुसूची-तीन (ख)
(नियम 8 देखिए)

सीधे भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की आयु तथा अर्हता
संभागीय/जिला स्तर - लिपिकवर्गीय संवर्ग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रेड-3/आहार लिपिक/सहायक स्टुवर्ड/लिपिक-सह- टायपिस्ट/कम्प्यूटर सह लिपिक/रिकार्ड कीपर	18 वर्ष	40 वर्ष	<p>1. (10+2) पद्धति के अधीन 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।</p> <p>2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p> <p>3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :- (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र।</p> <p>4. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :- (एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि। (दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इनफार्मेशन टेक्नालाजी इत्यादि।</p> <p>5. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिसमें कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p>	<p>मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-3-7/2015/1/3, दिनांक 29.05.2019 में अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बी.एस.सी की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक बी.एस.सी की परीक्षा आई.टी./कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी./कम्प्यूटर साइंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।</p>
2.	कम्प्यूटर (संगणक)	21 वर्ष	40 वर्ष	<p>गणित, सांख्यिकीय, वाणिज्य अथवा अर्थशास्त्र विषय में स्नातक अथवा बी.ई./बी.टेक.डिग्री</p>	-

3.	डायटीशियन	21 वर्ष	40 वर्ष	1. एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) उत्तीर्ण या बी.एस. सी. (गृह विज्ञान) द्वितीय-श्रेणी में उत्तीर्ण 2. एक विषय आहार शास्त्र (डाइटिटिक्स) होना अनिवार्य है।	-
4.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	वाणिज्य/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय में द्वितीय-श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा बी.ई./बी.टेक.डिग्री।	-
5.	वरिष्ठ संगणक (सीनियर कम्प्यूटर)/सांख्यिकीय अन्वेषक (कनिष्ठ)	21 वर्ष	40 वर्ष	सांख्यिकी गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र विषय में द्वितीय-श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।	-
6.	सांख्यिकीय अन्वेषक	21 वर्ष	40 वर्ष	सांख्यिकीय, गणित, वाणिज्य, अथवा अर्थशास्त्र विषय में द्वितीय-श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।	-
7.	स्टुवर्ड	21 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी. गृह विज्ञान जिसमें एक विषय आहार शास्त्र (डाइटिटिक्स) हो।	-
8.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	21 वर्ष	40 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण। 2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 3. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :- (एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण पत्र। 4. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:- (एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि। (दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि।	मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-3-7/2015/1/3, दिनांक 29.05.2019 में अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बी.एस.सी. की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी. उपाधि धारक बी.एस.सी. की परीक्षा आई.टी./कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी./कम्प्यूटर साइंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।

				<p>5. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिसमें कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p> <p>6. ऑन लाईन डाटा एन्ट्री कार्य का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>7. मिनी एवं माईक्रो कम्प्यूटर हैंडलिंग का अनुभव।</p> <p>8. प्रोग्रामिंग भाषा का अनुभव।</p>	
9.	शीघ्रलेखक (हिन्दी) तृतीय-श्रेणी	18 वर्ष	40 वर्ष	<p>1. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) पद्धति के अधीन उत्तीर्ण।</p> <p>2. मान्यताप्राप्त संस्थाओं/परिषद से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शार्टहेण्ड उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र।</p> <p>3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।</p> <p>4. निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है :-</p> <p>(एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।</p> <p>(तीन) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।</p> <p>(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।</p> <p>(पांच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय 'कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट' (COPA) प्रमाण पत्र।</p> <p>5. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-</p> <p>(एक) बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी.सी.एस.)/*बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि।</p> <p>(दो) ए.आई.सी.टी.ई.से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालाजी इत्यादि।</p> <p>6. बी.एस.सी./बी.कॉम/डिग्रीयां जिनमें कम्प्यूटर के केवल एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।</p>	<p>मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी-3-7/2015/1/3, दिनांक 29.05.2019 में अंकित किया गया है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के नाम से डिग्री प्रदान नहीं की जाती है, अपितु केवल बी.एस.सी की उपाधि प्रदान की जाती है। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी उपाधि धारक बी.एस.सी की परीक्षा आई.टी./कम्प्यूटर साईंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण है तो अंक सूची के आधार पर आई.टी./कम्प्यूटर साईंस विषय प्रमाणित होने पर बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष मान्य किया जाए।</p>

अनुसूची-चार (क)
(नियम 14 देखिए)

पदोन्नति पद्धति के सदस्य, आवश्यक अनुभव और विभागीय पदोन्नति समिति
लिपिकवर्गीय संवर्ग-संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश

अनुक्रमांक	उस पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हताएं,	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रवर्ग-1					
1.	सहायक अधीक्षक / मण्डार निरीक्षण अधिकारी / वरिष्ठ लेखा परीक्षक / वरिष्ठ लेखापाल	अधीक्षक	पाँच वर्ष	1. अपर संचालक / संयुक्त संचालक (प्रशासन)- अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक-सदस्य 3. उप संचालक (कार्यालय स्थापना)-सदस्य 4. प्रशासकीय अधिकारी (कार्यालय स्थापना)-सदस्य सचिव 5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का समकक्ष अधिकारी-सदस्य	-
2.	सहायक ग्रेड-1	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	तदैव	-
3.	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1	5 वर्ष	तदैव	-
4.	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	तदैव	-
5.	सहायक ग्रेड-3	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता	1. गणित, सांख्यिकीय, वाणिज्य, अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक 2. सेवा अनुभव-पाँच वर्ष	तदैव	-
प्रवर्ग-2					
1.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक (विभागीय) / वरिष्ठ लेखापाल	मंडार निरीक्षण अधिकारी	2 वर्ष	तदैव	-
2.	लेखापाल	वरिष्ठ लेखा परीक्षक / वरिष्ठ लेखापाल	1. सम्मति पत्र के आधार पर 2. 5 वर्ष 3. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण (अधीनस्थ लेखा सेवा (एस.ए. एस.) परीक्षा उत्तीर्ण होने पर वरिष्ठ लेखा परीक्षक को पुनरीक्षित वेतनमान 9300+34800+3600 ग्रेड-पे देय होगा)	तदैव	-

3.	सहायक ग्रेड-2/कनिष्ठ लेखापाल (क्रय) अथवा भण्डारी/सहायक ग्रेड-3	लेखापाल	1. सम्मति पत्र के आधार पर 2. 5 वर्ष 3. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण 4. कनिष्ठ लेखापाल (क्रय/भण्डारी) के लिए 3 वर्ष एवं सहायक ग्रेड-3 के लिए 8 वर्ष।	तदैव	-
4.	सहायक ग्रेड-3	कनिष्ठ लेखापाल (क्रय अथवा भण्डारी)	1. सम्मति पत्र के आधार पर 2. 3 वर्ष का अनुभव 3. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण	तदैव	-
प्रवर्ग-3					
1.	शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी) तृतीय श्रेणी	निज सहायक	5 वर्ष	तदैव	-
2.	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक (हिन्दी) द्वितीय-श्रेणी	1. 5 वर्ष 2. शीघ्रलेखक के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता (100 शब्द प्रति मिनट की गति से) पूर्ण करने पर 3. ऐसे स्टेनो टायपिस्ट जो शीघ्रलेखक के पद के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं; वे सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।	तदैव	मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ8-6/2015/नियम/4, दिनांक 19.07.2017 पद संरचना, वेतनमान और लिपिकवर्गीय सेवाओं (लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृद्ध) में पदोन्नति 01.01.2016 से लागू होगी।
प्रवर्ग-4					
1.	प्रचार सहायक (बी. सी.जी.)	उप सम्पादक	5 वर्ष	तदैव	-
प्रवर्ग-5					
1.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	(एक) 10 वर्ष (दो) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा	तदैव	-

नोट.- 1. (एक) दिनांक 19.07.2017 को जारी मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-6/2015/नियम/चार, के अनुसार लिपिकवर्गीय सेवा (लिपिकीय कर्मचारिवृद्ध) के लिए पदों का सृजन, वेतनमान तथा पदोन्नति से संबंधित संशोधन 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगे।

(क) दिनांक 19 जुलाई, 2017 को जारी मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ8-6/2015/नियम/चार द्वारा सहायक ग्रेड-1/लेखापाल/मुख्य लिपिक को 1 जनवरी, 2016 से पे बैंड-1 का पुनरीक्षित वेतनमान (5200-20200)+2800 ग्रेड पे स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19 जुलाई, 2017 के अनुसरण में संचालनालय के लेखापाल, जो कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए हैं, वरिष्ठ लेखा परीक्षक के स्वीकृत वेतनमान पे बैंड-2 (9300-34800)+3200 ग्रेड पे के पात्र होंगे।

(ख) दिनांक 19 जुलाई, 2017 के जारी मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ8-6/2015/नियम/चार के अनुसार नवीन संरचना में कनिष्ठ लेखा परीक्षक का वेतनमान पे बैंड-1 (5200-20200)+2800 ग्रेड पे है, जो कि लेखापाल के पद के समतुल्य

किया गया है। पूर्व में विभाग के अधीन पे बैंड-1 5200-20200)+2800 ग्रेड पे के वेतनमान में कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद की मंजूरी के कारण तथा लेखापाल के पद से उक्त पद पर पदोन्नति के उपबंध के परिणामस्वरूप नवीन उपबंध के अनुसार कनिष्ठ लेखा परीक्षक के 9 पदों को लेखापाल के आगामी पदोन्नति के पद अर्थात् वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद में समाहित किया गया है।

2. ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति के लिए वांछित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, को उक्त पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जाए, कि इस अवधि में उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा,-

(एक) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(दो) यू.जी.सी. द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

(तीन) डिप्लोमा स्तर की डीओईएसीसी परीक्षा।

(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।

(पाँच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.V.T.C.) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट"(COPA) प्रमाण पत्र।

3. उपरोक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी विधिमाम्य होगी:-

(एक) बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.एस.)/*बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि।

(दो) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि।

4. बी.एस.सी./बी.कॉम. की उपाधियां जिनमें कम्प्यूटर का केवल एक विषय सम्मिलित है, मान्य नहीं होंगी।
5. यदि 2 वर्ष की परीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह अर्हता प्राप्त नहीं कर ली जाती है, तो उन्हें उनके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।
6. 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उपरोक्त शर्त से छूट प्रदान की जाएगी।

अनुसूची-चार (ख)

(नियम 14 देखिए)

पदोन्नति पद्धति के सदस्य, आवश्यक अनुभव और विभागीय पदोन्नति समिति
संभाग / जिला स्तर का लिपिकवर्गीय संवर्ग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, के अधीनस्थ कार्यालय

अनुक्रमांक	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिए जिससे कि पदोन्नति की जाना है अनिवार्य अर्हताएं	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक अधीक्षक / कनिष्ठ लेखाधिकारी / लेखा परीक्षक (सीनियर ऑडिटर)	कार्यालय अधीक्षक	5 वर्ष	संभागीय पदोन्नति समिति 1. वरिष्ठतम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - अध्यक्ष 2. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मलेरिया या कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1 - सदस्य 3. जिला परिवार कल्याण सह स्वास्थ्य अधिकारी- सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का समकक्ष अधिकारी- सदस्य
2.	लेखापाल / सहायक ग्रेड-1 (मुख्य लिपिक) / शिविर समन्वयक (कैम्प कोऑर्डिनेटर) / लेखापाल (एम.डी.टी.)	सहायक अधीक्षक / कनिष्ठ लेखाधिकारी / लेखा परीक्षक (सीनियर ऑडिटर)	(1) 3 वर्ष (2) कनिष्ठ लेखाधिकारी / लेखा परीक्षक (सीनियर ऑडिटर) हेतु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण	तदैव
3.	सहायक ग्रेड-2 / स्टुवर्ड / केशियर (खजांची) / सहायक लेखापाल / कनिष्ठ लेखा परीक्षक (जूनियर ऑडिटर) / लेखापाल सह भण्डारी सह लिपिक	लेखापाल / सहायक ग्रेड-1 (मुख्य लिपिक) / शिविर समन्वयक (कैम्प-कोऑर्डिनेटर) / प्रबंधक चिकित्सा भण्डार / लेखापाल (एम. डी.टी.)	(1) 1 वर्ष। (2) लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण (लेखापाल / लेखापाल (एम.डी.टी.) पद हेतु	तदैव
4.	सहायक ग्रेड-3 / सहायक स्टुवर्ड (स्टुवर्ड जूनियर) / लिपिक सह टायपिस्ट / कम्प्यूटर सह लिपिक	सहायक ग्रेड-2 / स्टुवर्ड / केशियर (खजांची) / सहायक लेखापाल / कनिष्ठ लेखा परीक्षक (जूनियर ऑडिटर) / लेखापाल सह भण्डारी सह लिपिक	5 वर्ष	तदैव
5.	सहायक ग्रेड-3 / लिपिक सह टायपिस्ट / कम्प्यूटर सह लिपिक	संगणक (कम्प्यूटर)	3 वर्ष	तदैव

6.	सहायक स्टुवर्ड (स्टुवर्ड जूनियर)	स्टुवर्ड	5 वर्ष	तदैव
7.	स्टुवर्ड	डायटीसियन	5 वर्ष	तदैव
8.	सांख्यिकी अन्वेषक/वरिष्ठ संगणक (सीनियर कम्प्यूटर)/क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता/लेखापाल (संचालनालय)	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	(एक) 3 वर्ष सांख्यिकीय अन्वेषक/क्षेत्रीय कार्यकर्ता/लेखापाल (संचालनालय) के लिए (दो) 5 वर्ष सीनियर संगणक/सांख्यिकीय अन्वेषक (कनिष्ठ) के लिए	संचालनालय पदोन्नति समिति 1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक (प्रशासन)-अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक-सदस्य 3. उप संचालक (कार्यालय स्थापना)-सदस्य 4. प्रशासकीय अधिकारी (कार्या.स्था.)-सदस्य सचिव 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का समकक्षीय अधिकारी-सदस्य
9.	सीनियर संगणक/सांख्यिकीय अन्वेषक (कनिष्ठ)	सांख्यिकीय अन्वेषक	3 वर्ष	संचालनालय पदोन्नति समिति 1. वरिष्ठतम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-अध्यक्ष 2. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं मलेरिया या कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1-सदस्य 3. जला परिवार कल्याण सह स्वास्थ्य अधिकारी-सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का समकक्षीय अधिकारी-सदस्य

नोट.-1. ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति के लिए वांछित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, को उक्त पद पर 02 वर्ष की परिदीक्षा अवधि पर इस शर्त के साथ नियुक्ति दी जाए कि इस अवधि में उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र परीक्षा करना उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा निम्नलिखित संस्था से डिप्लोमा प्राप्त करना अनिवार्य होगा,-

(एक) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. डिप्लोमा ।

(दो) शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. डिप्लोमा ।

(तीन) डिप्लोमा स्तर की परीक्षा ।

(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स ।

(पाँच) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T) मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट"(COPA) प्रमाण पत्र ।

2. उक्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-

(एक) बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./एम.एस.सी.(आई.टी.सी.एस.)/#बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) एम.टेक/एम.ई.इत्यादि ।

- (दो) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफारमेशन प्रौद्योगिकी इत्यादि।
3. बी.एस.सी./बी.कॉम./डिग्रीयां जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा।
 4. यदि 02 वर्ष की परीक्षण अवधि में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह अर्हता प्राप्त नहीं कर ली जाती है, तो उन्हें उनके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए।
 5. 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त शर्त से छूट प्रदान की जाएगी।

अनुसूची-(पंच)

अनुसूची-एक (क) और (ख) में उल्लिखित पदों की वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए जिला, संभाग, राज्य प्रवर्ग में वर्गीकरण

जिला स्तर	क्रमांक	संभाग स्तर	क्रमांक.	राज्य स्तर
निरंक		अनुसूची-1(ख)		अनुसूची-1 (क) के समस्त
	1.	लेखापाल	1.	कार्यालय अधीक्षक (संभाग)
	2.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	2.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी
	3.	सहायक लेखापाल	3.	सहायक अधीक्षक
	4.	लेखापाल- सह- स्टोर कीपर- सह- लिपिक	4.	प्रबंधक मेडीकल स्टोर
	5.	सहायक ग्रेड-2/केशियर	5.	वरिष्ठ अकेक्षक
	6.	संगणक	6.	केम्प समन्वयक
	7.	सहायक ग्रेड-3/स्टोनो टायपिस्ट/आहार लिपिक/सहायक स्टुवर्ड/संगणक-सह लिपिक/लिपिक सह-टायपिस्ट/रिकॉर्ड कीपर	7.	लेखापाल (एम.डी.टी.)
	8.	स्टुवर्ड	8.	सहायक ग्रेड-1 (मुख्य लिपिक)
	9.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	9.	आहार विशेषज्ञ
			10.	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
			11.	सांख्यिकीय अन्वेषक
			12.	वरिष्ठ संगणक (कुष्ठ)
			13.	शीघ्रलेखक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मयंक अग्रवाल, उपसचिव.

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Directorate of Health Services) Class-III Ministerial Service Recruitment Rules, 1989 and the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Directorate of Health Services) Class-III Clerical and Non-Clerical Service Recruitment Rules, 2024, which was published in the Official Gazette dated 4th March, 2024, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Directorate of Health Services) Class-III Clerical and Non-Clerical Service Recruitment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appointing Authority", in respect of the service means the authority as specified in column (6) of Schedule-I (A) and Schedule-I (B);
- (b) "Board" means the Madhya Pradesh Employees Selection Board;
- (c) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

- (d) "Commissioner" means the Commissioner, Health Services, Madhya Pradesh;
- (e) "Committee" means the Departmental Promotion Committee consisting of such members as specified in column (5) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B);
- (f) "Disabled Persons" means those persons who are covered under the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);
- (g) "Economically Weaker Section (E.W.S.)" means a citizen of economically weaker section as specified by Circular No. F-07-11/2019/आ.प्र./one dated 2nd July, 2019 and Circular No. F-07-11/2019/आ.प्र./one dated 18th July, 2019 of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department any other order issued, from time to time;
- (h) "Examination" means an examination organized for recruitment under clause (a) of sub-rule (1) of rule 6;
- (i) "Ex-serviceman" means a person who belongs to any of the following categories and was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

- (1) ex-serviceman released under mustering out concession;
 - (2) ex-serviceman who was employed for more than six months continuously in army of country and not released due to any misconduct;
 - (3) ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) completion of short term engagement;
 - (b) fulfilling the conditions of enrolment;
 - (4) ex-personnel of Madras Civil Units;
 - (5) officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
 - (6) ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc. or they are unlikely to become efficient soldiers;
- (j) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (k) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (l) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
- (m) "Retrenched Government Servant" means a person who was in a temporary Government Service of this State or of any constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment

exchange or an application made otherwise for employment in Government Service;

- (n) "Schedule" means Schedules appended to these rules;
- (o) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within such caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (p) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (q) "Service" means the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Directorate of Health Services) Class-III Clerical and Non-Clerical Service;
- (r) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of the service. The service shall consist of the following persons, namely:-

- (1) persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the posts specified in Schedule-I (A) and Schedule-I (B);
- (2) persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Pay Scale, etc.-

The classification of the service, pay scale attached thereto and the number of posts included in the service shall be as specified in Schedule-I (A) and Schedule-I (B) and shall be eligible for time pay scale under the provisions of the Finance Department:

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of Recruitment.-

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:-

- (a) by selection, by direct recruitment generally through competitive examination organized by the Board or by other selection examination conducted with the specific permission of the General Administration Department;
- (b) by promotion of members appointed in the service as specified in column (2) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B);
- (c) by transfer of such persons holding in their substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the State Government.

- (2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II (A) and Schedule-II (B) of the number of duty posts specified in Schedule-I (A) and Schedule-I (B).
- (3) Fifty percent of the total number of persons recruited under clause (a) of sub-rule (1) shall be reserved for those persons who have been appointed on contractual basis, but the benefit of such reservation may be availed only once by the persons belonging to this category. For the period of service rendered on contractual basis in an equivalent or higher post, the candidates shall be entitled to relaxation in the upper age limit and that age limit shall be the maximum age including all relaxations as on the date of application or as per the date mentioned in the advertisement issued to fill the post, the upper age limit shall not exceed 55 years.
- (4) Fifty percent of the total number of contractual officers/employees who have completed 5 years of continuous service on contractual posts equivalent to regular posts of direct recruitment in the department or up to 50% of the vacant posts of direct recruitment in the department (whichever is less), shall be reserved for appointment of contractual officers/employees vide the circular of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department No. C-5-2/2018/1/3, dated 22nd July, 2023. Once they have taken advantage of the reservation facility under these instructions or the

- earlier instructions referred to, they shall not be eligible for the benefit again.
- (5) Subject to the provisions of these rules, the method of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government/ Appointing Authority.
- (6) The reservation for Economically Weaker Section (E.W.S.) shall be given 10% vide circular issued by the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department No. F-07-11/2019/अ.प्र./one, dated 2nd July, 2019. Similarly the reservation shall also be granted to the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the article 341 and 342 of the Constitution of India and reservation for the Other Backward Classes shall be in accordance with the Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time.

7. Appointment to the service.-

All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made after selection except by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-

In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age.-

The minimum age, upper age and relaxation in upper age limit shall be, as determined by the State Government as per the circular issued by the General Administration Department, from time to time.

- (a) The candidate must have attained the age as shown in column (3) of Schedule-III (A) and Schedule-III (B) and not attained the age as shown in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following date of commencement of the examination/selection;
- (b) the upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category;
- (c) in regard of Vikram Award holders, the upper age limit shall be relaxable up to 5 years;
- (d) in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997 the upper age limit shall be relaxable up to 10 years for women candidates;
- (e) the general upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of a partner belonging to unreserved category who has been awarded under the Madhya Pradesh Antarjatiya Vivah Protsahan

Yojna, 2024 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department, Madhya Pradesh;

- (f) in respect of the male and female candidates working under the Government/ Corporation/ Board/ Autonomous body and Nagar Sainik and male and female candidates belonging to reserved category and all female candidates including widow/ abandoned/ divorced, the maximum age limit shall be 45 years:

Provided that the maximum age limit for any cadre including all relaxations in any case shall not exceed more than 45 years;

- (g) the upper age limit regarding disabled candidates shall be relaxable as the State Government may prescribe from time to time;
- (h) a candidate, who is a Retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;
- (i) a candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age, the period of all defence services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;

- (j) the upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and non commissioned officers of Home Guards equal to the period of service rendered so but in no case their age should exceed 45 years.

(2) Educational Qualifications.

- (a) The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in the Schedule-III (A) and Schedule-III (B) appended hereto:

Provided that-

- (i) in exceptional cases, the Appointing Authority may, on the recommendation of the Selection Committee/ Board, appoint a candidate who, although does not possess any of the prescribed qualifications but has passed the examinations conducted by other Institutions at such a level. So that in the opinion of the Appointing Authority the candidate is eligible for selection; and
- (ii) such candidates, who are otherwise qualified but have obtained degrees from Foreign Universities not specifically recognized by the Government, may also

be considered for selection at the discretion of the Appointing Authority.

- (b) It shall be mandatory for the candidates to appear in the selection examination conducted by the Board.
- (c) For the post applied for, the candidates shall have to choose their preference, if a candidate qualifies in the selection examination conducted by the Board, but does not fulfill the prescribed criteria for appointment then in such a case, his/her candidature shall be rejected and shall be non-transferable to any other post and the entire responsibility shall be on the concerned candidate.

(3) Fees.-

The candidates must pay the fees prescribed by the Appointing Authority/Government, as revised from time to time.

9. Disqualifications.-

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority/ Board/ Committee to disqualify him from appearing in the examination/selection.
- (2) Any candidate, who has married earlier to the minimum age fixed for marriage shall be disqualified for appointment in the service or on any post.
- (3) Any candidate, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001 shall not be eligible for the service or post:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who already has one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January, 2001, in which two or more than two children are born.

- (4) Any candidate, who has been convicted for any offence against woman shall be disqualified for appointment in the service:

Provided that if criminal proceedings are still pending in a court, his appointment shall be kept on hold until disposal of such criminal proceedings.

- (5) Any male candidate, having more than one living wife and any female candidate who married to a person who already has a living wife shall be disqualified for service.
- (6) Any other reason, as prescribed by the State Government.

10. Decision regarding eligibility.-

The decision of the Appointing Authority/ Board/ Committee regarding the eligibility of a candidate for examination/interview shall be final and no candidate who has been disqualified shall be permitted for the examination/interview.

11. Selection of Candidates by direct recruitment.-

- (1) For the recruitment to the service, competitive examination shall be held at such intervals, as the Government may from time to time determine in consultation with the Commission. Examination shall

be conducted in accordance with the orders issued by the State Government.

- (2) After releasing the joint open list giving the benefit of reservation, a separate list of successful candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be released in which the names of eligible candidates of the respective reserved category shall also be included as per horizontal reservation separately.
- (3) If any reserved category candidate i.e. Female/Ex-Serviceman, disabled candidate is placed in the unreserved category on the basis of his/her merit, then he/she shall be counted in the unreserved horizontal category. After this, horizontal reservation in the category wise list shall be given only to the candidate of the respective category. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Disabled Persons and Ex-Serviceman shall be able to get seats in the respective category.
- (4) For the direct recruitment, the 16% posts shall be reserved for Scheduled Castes, 20% posts for Scheduled Tribes and 27% posts for Other Backward Classes candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhinyam, 1994 (No. 21 of 1994). In the said reserved posts, 10% posts shall be reserved for Economically Weaker Sections (E.W.S.) as per the

provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 of the Central Government and 35% posts shall be reserved horizontally and compartment-wise for the female candidates as per the provisions of the amended sub-rule (1) of rule 3 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for the Appointment of Women) Rules, 1977 as amended from time to time.

- (5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the select list without considering their relative position in comparison to other candidates.
- (6) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, then the remaining vacancies shall not be filled by other candidates in any way.
- (7) The provisions for reservation for disabled persons as declared by the State Government shall be horizontal and compartment-wise.

12. Period of validity of the final list of successful candidates.-

The final list of successful candidates in the examination in any recruitment year shall be valid for a period of 18 months from the date of declaration of the final list or the declaration of the results of next year's

examination, whichever is earlier, after that the final list shall be invalid.

13. Process of verification of certificates of successful candidates and appointment.-

- (1) On the basis of the final list of successful candidates in the examination, the Department shall verify the degrees/ certificates of educational, technical and professional qualifications.
- (2) As per the guidelines issued by the General Administration Department, it shall be the responsibility of the appointing officer to ensure the necessary action regarding verification of candidate's certificates, character certificate and appointment.

14. Probation.-

Every person selected in service by direct recruitment shall be appointed on probation for a period of three years. During this period an amount of 70% for 1st year, 80% for 2nd year and 90% for 3rd year of minimum pay-scale of the post shall be payable as the stipend. The pay in the pay-scale of the post shall be started after successful completion of the probation period.

15. List of candidates recommended by the selection Committee/ Board/ Commission.-

- (1) The Board/Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Board/Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes,

Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard are declared by the Board/Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

- (2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appeared in the list.
- (3) The inclusion of candidate's name in the list shall confer no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment in the service.

16. Reservation.-

According to the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the reservation (vertical) for the candidates shall be applicable:-

Scheduled Tribes	-	20 %
Scheduled Castes	-	16 %
Other Backward Classes	-	27 %

Explanation.- Model reservation roster issued by the General Administration Department shall be applicable for the State level posts/ cadres to be filled through direct recruitment.

17. Horizontal Reservation.-

- (a) The women candidates shall be given 35% reservation as per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (b) In accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and as per the order No. F/8/2001/आ.प्र./one(Part), dated 03-07-2018 and 17-09-2018 issued by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh, regarding reservation of persons with disabilities, 6% posts shall be reserved as per the horizontal reservation.
- (c) The ex-serviceman belonging to Madhya Pradesh shall get (horizontal reservation) 10% reservation for Class-III and 20% for Class-IV, respectively according to the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and posts, Class III and Class IV) Rules, 1985.

18. Appointment by promotion.-

- (1) Promotion proceedings shall be as per the rules/ orders issued from time to time by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.
- (2) A Committee shall be formed to make preliminary selection for promotion of eligible candidates which

shall have the members mentioned in column (5) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B).

- (3) The procedure for making promotions against reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued from time to time by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.
- (4) The Committee shall meet at least once in a year.

19. Conditions of eligibility for promotion.-

- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 18, the Committee shall consider the cases of all persons who have rendered that number of years of service (whether officiating or substantively) in those posts or services on the 1st January of that year, mentioned in column (2) of the Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B), or in any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and which are within the scope of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2) of rule 18 and are coming within the zone of consideration.
- (2) The field of selection shall be as per the rules/ instructions issued from time to time by the General Administration Department regarding promotion.

20. Consultation with the Commission/ Board.-

The recommendation of the Departmental Promotion Committee shall be deemed to have compliance of the requirement of the consultation with the Commission/ Board under sub-clause (b) of clause (3) of article 320 and a

separate consultation with the Commission/ Board shall not be necessary.

21. Select List.-

- (1) The appointing authority shall consider the list prepared by the Committee and if it does not consider any change necessary, it shall approve the list.
- (2) If the appointing authority considers it necessary to make any changes in the list, it shall finally approve the list along with such modifications, if any, recording the reasons therefore.
- (3) The list as finally approved by the appointing authority shall be the select list for promotion of members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B) to the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV (A) and Schedule-IV (B).
- (4) The selection list ordinarily shall remain in force for one year or until it is reviewed or revised, but its validity shall not extend beyond a period of 18 months, from the date of preparation of such list:

Provided that in case of serious lapse in conduct or discharge of duties on the part of any person included in the select list, the select list may be reviewed specially by the committee constituted by the Government and if the committee deems appropriate, may remove the names of such persons, from the select list.

22. Preparation of the list of suitable candidates.-

- (1) The list of suitable candidates shall be prepared according to the rules/ instructions issued by the General Administration Department from time to time. The names of the selected candidates included in the list shall be arranged in an order of service of posts on the basis of seniority at the time of preparation of such select list.

Provided that any junior person, who in the opinion of the Departmental Promotion Committee has specifically qualified and appropriate, shall be given a comparatively upper place.

- (2) A person whose name is included in the select list but is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.
- (3) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of the service, the Departmental Promotion Committee shall record its reasons in writing for the proposed supersession.
- (4) The list so proposed shall be reviewed and revised every year.

23. Appointment to the service from the select list.-

- (1) The appointment of the candidate included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall be made as per the provisions of sub-rule (1) of rule 22.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Departmental Promotion Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

24. Interpretation.-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

25. Relaxation.-

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such a manner, as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favourable to him than that provided in these rules.

26. Saving.-

Nothing in these rules shall adversely affect reservations and other conditions required to be provided for the

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time.

27. Repeal.-

All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Schedule-I (A)

(see rule 5)

**Classification of service, Pay Scale and Number of Posts included in the service
Clerical Cadre - Directorate of Health Services, Madhya Pradesh**

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Category - I						
1.	Superintendent	10	Class-III	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 4200 Seventh Pay Scale Level no. 10 (42700-135100)	Commissioner, Health Services	As per Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Order number F 8.1.2015 /Rule/4, dated 07.06.2018, the revised Pay-Scales/Grade Pay shall be implemented from 01.01.2016 and the cash benefit shall be given from 01.07.2018 (payable in August 2018). Notional increments shall be given for the period from 01.01.2016 to 30.06.2018.
2.	Assistant Superintendent	5	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200- 114800)	- do -	Same remark mentioned in column (1) of S.No.1 and General Administration Department's Order No. F 2.6/1/V.A.P./96 dated 5/7 October, 2006. The pay scales shall be considered applicable from 01.04.2006.
3.	Assistant Grade-I/ Assistant Grade-I (Leprosy)	25	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700- 91300)	- do -	-
4.	Assistant Grade-II	57	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300- 80500)	- do -	-
5.	Assistant Grade-III	88	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500- 62000)	- do -	-
6.	Assistant Storekeeper	1	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200)+ Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500- 62000)	- do -	-

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Technical Assistant (E.P.I.)	1	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500-62000)	- do -	-
8.	Field Evaluation Worker	16	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	General Administration Department's Order No. F 2.6/1/ V.A.P./96 dated 5/7 October, 2006. The pay scales shall be considered applicable from 01.04.2006.
Category - 2						
1.	Stores Inspection Officer	2	Class-III	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200-114800)	Commissioner, Health Services	
2.	Senior Auditor (Junior Auditor-6 posts included)	12	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3200 Seventh Pay Scale Level no. 8 (32800-103600)	- do -	Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Order No. F 2.6/1/ V.A.P./96 dated 5/7 October, 2006. The pay scales shall be considered applicable from 01.04.2006. These revised pay scales shall be applicable for future promotions/ recruitments
3.	Senior Accountant	2	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3200 Seventh Pay Scale Level no. 8 (32800-103600)	- do -	-
4.	Accountant (Chief Accountant 1 post included)	10	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Circular No. F 8.6/ 2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff) shall come into force from 1 st January, 2016
5.	Junior Accountant (Purchase) / Junior Accountant (Store)	2	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2100 Seventh Pay Scale Level no. 5 (22100-70000)	- do -	

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>Category-3</u>						
1.	Personal Assistant	13	Class-III	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200-114800)	- do -	-
2.	Stenographer (Hindi) Class-III	5	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	-
3.	Stenographer (English)	1	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	-
4.	Stenotypist	2	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500-62000)	- do -	-
<u>Category-4</u>						
1.	Sub-Editor	1	Class-III	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	Commissioner, Health Services	-
2.	Publicity Assistant (BCG)	1	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	-
<u>Category-5</u>						
1.	Assistant Programmer	2	Class-III	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	Commissioner, Health Services	-
2.	Data Entry Operator	3	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2100 Seventh Pay Scale Level no. 5 (22100-70000)	- do -	-

Note: Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Circular No. F 8.6/2015/Rule/4, dated 19.07.2017, in the new structure, the Pay Scale of Junior Auditor has been made equivalent to the post of Accountant in 5200-20200+ GP Rs. 2800. As a result of earlier acceptance of the post of Junior Auditor in the pay scale of 5200-20200+ GP Rs. 2800 under the Department and the provisions of promotion on the said post from the post of Accountant, 6 posts out of 9 posts of Junior Auditor have been converted from the post of Accountant as per the new provision. The Committee has decided to merge the upcoming promotional posts into the post of Senior Auditor and hand over the remaining 3 posts to the Government.

Schedule-I (B)

(see rule 5)

Classification of service, pay scale and Number of Posts included in the service

Clerical at Divisional/District level

Concerned Organization/Directorate of Health Services, Subordinate Office

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Office Superintendent	7	Class-III	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 4200 Seventh Pay Scale Level no. 10 (42700-135100)	Regional Director	Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Order No. F 8.1. 2015 /Rule/4, dated 07.06.2018, the revise Pay Scales/Grade Pay shall be implemented from 01.01.2016 and the cash benefit shall be given from 01.07.2018 (payable in August, 2018). Notional increments shall be given for the period from 01.01.2016 to 30.06.2018.
2.	Assistant Superintendent	5	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200-114800)	- do -	--do--
3.	Junior Accounts Officer	4	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200-114800)	- do -	--do--
4.	Manager Medical Store	1	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	--do--
5.	Auditor (Senior Auditor)	7	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3200 Seventh Pay Scale Level no. 8 (32800-103600)	- do -	Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Order No./F-2-6/1/V.A.P./96, dated 05/17 October, 2006 and the Government of Madhya Pradesh, Finance Department's Circular No. F 8-6/ 2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff). shall come into force from 1 st January 2016

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Camp Coordinator	17	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	-
7.	Accountant (M.D.T.)	2	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	-
8.	Assistant Grade-1 (Chief Clerk)	92	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	-
9.	Accountant	783	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	Government of Madhya Pradesh General Administration Department's Order No./F-2-6/1/V.A.P./96, dated 05/17 October, 2006 and the Government of Madhya Pradesh Finance Department's Circular No. F 8-6/ 2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff) shall come into effect from 1 st January, 2016
10.	Junior Auditor	7	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	-
11.	Assistant Accountant	50	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	-
12.	Accountant-cum-Storckeeper-cum Clerk	436	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	-
13.	Assistant Grade-II / Cashier	543	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	-

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Computer	336	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2100 Seventh Pay Scale Level no. 5 (22100-70000)	- do -	-
15.	Assistant Grade-III/Diet Clerk/Assistant Steward/Clerk-cum- Typist/ Computer-cum- Clerk/Record Keeper	901	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500-62000)	1.Regional Director for the posts of his office. 2.Chief Medical and Health Officer for the remaining posts of the district	-
16.	Dietician	33	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	Regional Director	-
17.	Steward	71	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	-- do --	Government of Madhya Pradesh General Administration Department's Order No./F-2-6/1/V.A.P./96, dated 05/17 October, 2006 and the Government of Madhya Pradesh Finance Department's Circular No. F 8-6/ 2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff) shall come into effect from 1 st January, 2016
18.	Assistant Statistical Officer	131	- do -	Sixth Pay Scale PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 3600 Seventh Pay Scale Level no. 9 (36200-114800)	Commissioner, Health Services and for remaining posts, Regional Director, Health Services	-

S. No.	Name of posts included in the service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	Statistical Investigator (E.P.I.)	20	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	- do -	Government of Madhya Pradesh General Administration Department's Order No./F-2-6/1/V.A.P./96, dated 05/17 October, 2006 and the Government of Madhya Pradesh Finance Department's Circular No. F 8-6/2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff) shall come into effect from 1 st January, 2016
20.	Senior Computer (Leprosy)/ Statistical Investigator (Junior)	11	- do -	Sixth Pay PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2400 Seventh Pay Scale Level no. 6 (25300-80500)	- do -	-
21.	Stenographer (Hindi) Class-III	35	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 2800 Seventh Pay Scale Level no. 7 (28700-91300)	Regional Director for his subordinate posts	Government of Madhya Pradesh, Public Health and Family Welfare Department's Order No. F 12-44/1999/seventeen/Med-3 dated 22 April, 2006. The number and Pay Scale of the newly created posts approved.
22.	Computer Operator (Data Entry Operator)	79	- do -	Sixth Pay Scale PB-1 (5200-20200) + Grade Pay 1900 Seventh Pay Scale Level no. 4 (19500-62000)	Chief Medical and Health Officer	-

Schedule II (A)
(sec rule 6)
Method of Recruitment

S. No.	Name of the posts included in the Service	Name of Service	Total number of posts	Percentage of Number of Duty Posts to be Filled			Remarks
				By direct recruitment [rule-6 (i) (a)]	By promotion [rule-6 (i)(b)]	By transfer of persons from other services [rule-6 (i)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>Category-1</i>							
1.	Superintendent	Madhya Pradesh Public Health and Medical Education Department (Directorate of Health Services) Class-III Clerical and Non-Clerical Service	10	-	100%	-	-
2.	Assistant Superintendent	- do -	5	-	100%	-	-
3.	Assistant Grade-I/ Assistant Grade-I (Leprosy)	- do -	25	-	75%	-	As per the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Order No./F-2-6/ 1/ V.A.P. /96, dated 05/17 October, 2006, in the context of point No. 5.4, 6. Out of the total sanctioned posts of Assistant Grade-I, 25 vacant posts of Assistant Grade-II, who have completed graduation and 5 years of regular service shall be filled through limited departmental examination.
4.	Assistant Grade-II	- do -	57	-	100%	-	-
5.	Assistant Grade-III	- do -	88	75%	25% (From candidates eligible for Class-IV service) who have passed the higher secondary school certificate Examination of the old Education system or the higher secondary school certificate examination (10+2) system and must have completed 5 years of regular service	-	On the basis of merit from the list given by the Madhya Pradesh Employees Selection Board.
6.	Assistant Storekeeper	- do -	1				
7.	Technical Assistant (E.P.I.)	- do -	1				
8.	Field Evaluation Worker	- do -	16	50%	50%	-	-
<i>Category-2</i>							
1.	Stores Inspection Officer	- do -	2	-	100%	-	
2.	Senior Auditor	- do -	12	-	75%	25%	25% By deputation of officers of Sub-ordinate Accounts Service
3.	Senior Accountant	- do -	2	-	100%	-	
4.	Accountant	- do -	10	-	100%	-	
5.	Junior Accountant (Purchase)/Junior Accountant (Stores)	- do -	2	-	100%	-	

S. No.	Names of posts included in the service	Name of Service	Total number of posts	Percentage of Number of Duty Posts to be Filled			Remarks
				By direct recruitment [rule-6 (i)(a)]	By promotion See [rule-6 (i)(b)]	By transfer of persons from other services [rule-6 (i)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Category-3							
1.	Personal Assistant	- do -	13	-	100 %	-	-
2.	Stenographer (Hindi) Class-III	- do -	5	50%	50% (vacant posts shall be filled by promotion of stenotypists possessing the desired qualifications. If sufficient number of desired qualified stenotypists are not available, then the remaining posts of promotion quota shall be filled through direct recruitment.)	-	-
3.	Stenographer (English)	- do -	1	100%	-	-	-
4.	Stenotypist	- do -	2	100%	-	-	-
Category-4							
1.	Sub-Editor	- do -	1	-	100%	-	-
2.	Publicity Assistant (B.C.G.)	- do -	1	100%	-	-	-
Category-5							
1.	Data Entry Operator	- do -	3	100%	-	-	-
2.	Assistant Programmer	- do -	2	-	100%	-	-

Schedule II (B)

(see rule 6)

Method of Recruitment

Division/District level - Clerical Cadre of Directorate of Health Services

S. No.	Names of posts included in the service	Name of Service	Total number of posts	Percentage of Number of Duty Posts to be Filled			Remarks
				By direct recruitment [Rule-6 (i)(a)]	By promotion [Rule-6 (i)(b)]	By transfer of persons from other services [Rule-6 (i)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Office Superintendent	Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Division/District Level) Class-III Clerical Service	07	-	100%	-	
2.	Assistant Superintendent	- do -	5	-	100%	-	
3.	Junior Accounts Officer	- do -	4	-	100%	-	
4.	Manager Medical Store	- do -	1	-	100%	-	
5.	Senior Auditor	- do -	7	-	100%	-	
6.	Camp Coordinator	- do -	17	-	100%	-	
7.	Accountant (M.D.T.)	- do -	02	-	100%	-	
8.	Assistant Grade-I (Chief Clerk)	- do -	92	-	100%	-	
9.	Accountant	- do -	783	-	100%	-	
10.	Junior Auditor	- do -	7	-	100%	-	
11.	Assistant Accountant	- do -	50	-	100%	-	
12.	Accountant cum Storekeeper cum Clerk	- do -	436	-	100%	-	
13.	Assistant Grade-II / Cashier	- do -	543	-	100%	-	
14.	Computer	- do -	336	50%	50%	-	
15.	Assistant Grade-III/Diet Clerk/Assistant Steward/Clerk-cum-Typist/Computer-cum-Clerk/Record Keeper	- do -	901	75%	25%	-	Departmental Class-IV employees who have passed the Higher Secondary School Certificate examination under the Old Higher Secondary or 10+2 educational system and who have completed five years of regular service.
16.	Dietician	- do -	33	50%	50%	-	
17.	Steward	- do -	71	50%	50%	-	
18.	Assistant Statistical Officer	- do -	131	80%	20%	-	
19.	Statistical Investigator (E.P.I.)	- do -	20	50%	50%	-	
20.	Senior Computer / Statistical Investigator (Junior)	- do -	11	100%	-	-	
21.	Stenographer (Hindi)	- do -	35	100%	-	-	
22.	Computer Operator (Data Entry Operator)	- do -	79	100%	-	-	

Schedule III (A)

(see rule 8)

**Age and Qualification of Directly Recruited Employees
Clerical - Directorate, Health Services Madhya Pradesh**

S. No.	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification and experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Category - I</i>					
1.	Assistant Grade-III /Assistant Storekeeper/ Technical Assistant	18 Years	40 Years	<p>1. It is mandatory for the candidate to have passed 12th class examination under (10+2) system.</p> <p>2. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology;</p> <p>3. It is mandatory to pass one year Computer Diploma / Certificate examination from any one of the following recognized institutions:-</p> <p>(i) Diploma from any University recognized by U.G.C..</p> <p>(ii) Diploma from any Open University recognized by UGC.</p> <p>(iii) D.O.E.A.C.C. Examination of the diploma level .</p> <p>(iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (SCVT) Madhya Pradesh.</p> <p>4. Apart from computer diploma from the above recognized institutions, the following qualifications shall also be valid:</p> <p>(i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc. (ITCS)/ *B.Sc. (IT/CS) M.Tech/ M.E., etc.</p> <p>(ii) Polytechnic Diploma in Computer Science/Computer Application and Information Technology etc. approved by AICTE.</p> <p>5. B.Sc. / B.Com. / Degrees which involve teaching of only one computer subject shall not be valid.</p>	* It is mentioned in the Circular No. C-3-7/2015/1/3 of Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, issued on 29 th May, 2019 that the Universities of the State are not granting the Degree of B.Sc. (I.T./C.S.) but only Degree of B.Sc is granted. Therefore, it is clarified in this regard that the holder of B.Sc. Degree granted by the University shall be deemed to have passed the B.Sc. examination in IT/Computer Science with other subjects, then on the basis of the marksheet of IT/Computer Science shall be considered equivalent to B.Sc. (I.T./C.S.).

S. No.	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification and experience	Remarks
2.	Stenographer (Hindi) Class-III	18 Years	40 Years	<ol style="list-style-type: none"> 1. Higher Secondary School Certificate Examination passed Higher Secondary Examination Under (10+2) system. 2. Certificate of passing Hindi shorthand at the speed of 100 words per minute from recognized institutions/council. 3. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology; 4. It is mandatory to pass one year Computer Diploma/Certificate examination from any one of the following recognized institutions:- <ol style="list-style-type: none"> (i) Diploma from any University recognized by U.G.C. (ii) Diploma from any Open University recognized by UGC. (iii) D.O.E.A.C.C. Examination of the diploma level . (iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College. (v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (SCVT) Madhya Pradesh. 5. Apart from computer diploma from the above recognized institutions, the following qualifications shall also be valid: <ol style="list-style-type: none"> (i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc. (I.T.C.S.) /*B.Sc. (IT/CS) M.Tech /M.E., etc. (ii) Polytechnic Diploma in Computer Science/Computer Application and Information Technology etc. approved by AICTE. 6. B.Sc./B.Com./Degrees which involve teaching of only one computer subject shall not be valid. 	<p>* It is mentioned in the Circular No. C-3-7/2015/1/3 of Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, issued on 29th May, 2019 that the Universities of the State are not granting the Degree of B.Sc. (I.T./C.S.) but only Degree of B.Sc is granted. Therefore, it is clarified in this regard that the holder of B.Sc. Degree granted by the University shall be deemed to have passed the B.Sc. examination in IT/Computer Science with other subjects, then on the basis of the marksheet of IT/Computer Science shall be considered equivalent to B.Sc. (I.T./C.S.).</p>

S. No.	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification and experience	Comments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Stenographer (English)	18 Years	40 Years	<p>1. Higher Secondary School Certificate Examination passed Higher Secondary Examination Under (10+2) system.</p> <p>2. Certificate of passing English shorthand at the speed of 100 words per minute from recognized institutions/council.</p> <p>3. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology;</p> <p>4. It is mandatory to pass one year Computer Diploma/Certificate examination from any one of the following recognized institutions:</p> <p>(i) Diploma from any University recognized by U.G.C.</p> <p>(ii) Diploma from any Open University recognized by UGC.</p> <p>(iii) D.O.E.A.C.C. Examination of the diploma level .</p> <p>(iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (SCVT) Madhya Pradesh.</p> <p>5. Apart from computer diploma from the above recognized institutions, the following qualifications shall also be valid:</p> <p>(i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc. (I.T.C.S.) /*B.Sc. (IT/CS) M.Tech /M.E., etc.</p> <p>(ii) Polytechnic Diploma in Computer Science/Computer Application and Information Technology etc. approved by AICTE.</p> <p>6. B.Sc/B.Com/Degrees which involve teaching of only one computer subject shall not be valid.</p>	<p>* It is mentioned in the Circular No. C-3-7/2015/1/3 of Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, issued on 29th May, 2019 that the Universities of the State are not granting the Degree of B.Sc. (I.T./C.S.) but only Degree of B.Sc is granted. Therefore, it is clarified in this regard that the holder of B.Sc. Degree granted by the University shall be deemed to have passed the B.Sc. examination- in IT/Computer Science with other subjects, then on the basis of the marksheet of IT/Computer Science shall be considered equivalent to B.Sc. (I.T./C.S.).</p>
4.	Field Evaluation Worker	21 Years	40 Years	Graduation Degree in Economics, Mathematics, Commerce or Statistics or BE/B.Tech. Degree.	

S. No.	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification and experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Stenotypist	18 Years	40 Years	<p>1. Passed Higher Secondary Examination in Higher Secondary School Certificate Examination under (10+2) pattern.</p> <p>2. Speed of 80 words per minute in Hindi shorthand from recognized Institutions/Council.</p> <p>3. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology;</p> <p>4. It is mandatory to pass a one -year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following recognized institutions :.</p> <p>(i) Diploma from any university recognized by U.G.C..</p> <p>(ii) Diploma from any Open University recognized by UGC.</p> <p>(iii) D.O.E.A.C.C. Diploma level Examination</p> <p>(iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (SCVT) Madhya Pradesh.</p> <p>5. In addition to computer diploma from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid :.</p> <p>(i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc. (ITCS)/ *B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/ M.E, etc.</p> <p>(ii) AICTE Polytechnic Diploma in Computer Science/Computer Application and Information Technology etc.</p> <p>6. B.Sc/B.Com/Degrees which involve teaching of only one computer subject shall not be valid.</p>	<p>* It is mentioned in the Circular No. C-3-7/2015/1/3 of Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, issued on 29th May, 2019 that the Universities of the State are not granting the Degree of B.Sc. (I.T./C.S.) but only Degree of B.Sc is granted. Therefore, it is clarified in this regard that the holder of B.Sc. Degree granted by the University shall be deemed to have passed the B.Sc. examination in IT/Computer Science with other subjects, then on the basis of the marksheet of IT/Computer Science shall be considered equivalent to B.Sc. (I.T./C.S.).</p>
Category - 4					
6.	Publicity Assistant (B.C.G.)	18 Years	40 Years	<p>1. Bachelor of Arts with Hindi, Political Science, Sociology</p> <p>2. 3 years experience in Journalism</p>	

S. No.	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification and experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Category - 5					
7.	Data Entry Operator	21 Years	40 Years	<ol style="list-style-type: none"> 1. Higher Secondary School Certificate Examination passed Higher Secondary Examination Under (10+2) system. 2. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology. 3. It is mandatory to take a one -year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following recognized institutions - <ol style="list-style-type: none"> (i) Diploma from any university recognized by U.G.C. (ii) Diploma from any free university recognized by Pupdh UGC. (iii) Examination of the diploma level. (iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College. (v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (SCVT), Madhya Pradesh. 4. In addition to computer diplomas from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid - <ol style="list-style-type: none"> (i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc. (ITCS)/ *B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/ M.E, etc. (ii) Polytechnic Diploma in Computer Finance/Computer Application and Information Technology etc. 5. B.Sc/B.Com/degrees which include only a subject of computer shall not be valid. 6. Two years experience of online data entry work. 7. Mini and Micro Computer Handling Experience 8. Programming language experience 	<p>* It is mentioned in the Circular No. C-3-7/2015/1/3 of Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, issued on 29th May, 2019 that the Universities of the State are not granting the Degree of B.Sc. (I.T./C.S.) but only Degree of B.Sc is granted. Therefore, it is clarified in this regard that the holder of B.Sc. Degree granted by the University shall be deemed to have passed the B.Sc. examination in IT/Computer Science with other subjects, then on the basis of the marksheet of IT/Computer Science shall be considered equivalent to B.Sc. (I.T./C.S.).</p>

Schedule III (B)

(see rule 8)

**Age and Qualification of Directly Recruited Employees
Divisional / District Level - Clerical Cadre
Director Health Services Madhya Pradesh**

S. No.	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification and experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Grade-III/ Diet Clerk / Assistant Stevard/ Clerk cum typist / computer cum clerk/ Record Keeper	18 Years	40 Years	<p>1. It is mandatory to pass 12th class examination under the (10+2) system.</p> <p>2. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology.</p> <p>3. It is mandatory to take a one -year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following recognized institution :-</p> <p>(i) Diploma from any university recognized from UGC.</p> <p>(ii) Diploma from any free university recognized by UGC.</p> <p>(iii) Diploma level Examination from the DOEACC.</p> <p>(iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (CNVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (CSVT), Madhya Pradesh.</p> <p>4. In addition to computer diplomas from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid :-</p> <p>(i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc. (ITCS)/ *B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/ M.E, etc.</p> <p>(ii) Polytechnic Diploma in Computer Science / Computer Application and Information Technology etc.</p> <p>5. B.Sc/B.Com/Degrees which involve teaching of only one computer subject shall not be valid.</p>	<p>* It is mentioned in the Circular No. C-3-7/2015/1/3 of Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, issued on 29th May, 2019 that the Universities of the State are not granting the Degree of B.Sc. (I.T./C.S.) but only Degree of B.Sc is granted. Therefore, it is clarified in this regard that the holder of B.Sc. Degree granted by the University shall be deemed to have passed the B.Sc. examination in IT/Computer Science with other subjects, then on the basis of the marksheets of IT/Computer Science shall be considered equivalent to B.Sc. (I.T./C.S.).</p>

S. No.	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification and experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Computer	21 Years	40 Years	Graduation in Mathematics, Statistics, Commerce, or Economics or B.E./B.Tech. degree	-
3.	Dietician	21 Years	40 Years	1. M.Sc. (Home Science) Passed or B.Sc. (Home Science in II Division) 2. It is mandatory to have one of the subjects Dietetics	-
4.	Assistant Statistical Officer	21 Years	40 Years	Postgraduate degree in II Division in Commerce / Statistics / Economics or Mathematics.	-
5.	Senior Computer; /Statistical Investigator (Junior)	21 Years	40 Years	Postgraduate in II Division in Statistics, Mathematics, Commerce, Economics.	-
6.	Statistical Investigator	21 Years	40 Years	Postgraduate degree in Statistics, Mathematics, Commerce, or Economics in the second class or BE/B.Tech. degree.	-
7.	Steward	21 Years	40 Years	B.Sc. Home Science that have a subject dietetics.	-

S. No.	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification and experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Computer Operator (Data Entry Operator)	21 Years	40 Years	<p>1. Higher Secondary School Certificate Examination passed Higher Secondary Examination Under (10+2) system.</p> <p>2. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology.</p> <p>3. It is mandatory to take a one -year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following recognized institutions :.</p> <p>(i) Diploma from any University recognized by U.G.C.</p> <p>(ii) Diploma from any free University recognized by UGC.</p> <p>(iii) Examination of the diploma level.</p> <p>(iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p> <p>(v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (SCVT), Madhya Pradesh.</p> <p>4. In addition to computer diplomas from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid :.</p> <p>(i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc. (ITCS)/ *B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/ M.E, etc.</p> <p>(ii) Polytechnic Diploma in Computer Finance/Computer Application and Information Technology etc.</p> <p>5. B.Sc/B.Com/degrees which include only a subject of computer shall not be valid.</p> <p>6. Two years' experience of online data entry work.</p> <p>7. Mini and Micro Computer Handling Experience</p> <p>8. Programming language experience</p>	<p>* It is mentioned in the Circular No. C-3-7/2015/1/3 of Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, issued on 29th May, 2019 that the Universities of the State are not granting the Degree of B.Sc. (I.T./C.S.) but only Degree of B.Sc is granted. Therefore, it is clarified in this regard that the holder of B.Sc. Degree granted by the University shall be deemed to have passed the B.Sc. examination in IT/Computer Science with other subjects, then on the basis of the marksheet of IT/Computer Science shall be considered equivalent to B.Sc. (I.T./C.S.).</p>

S. No.¹	Name of Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification and experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Stenographer (Hindi) Class-III	18 Years	40 Years	<ol style="list-style-type: none"> 1. Higher Secondary School Certificate Examination passed Higher Secondary Examination Under (10+2) system. 2. Certificate of Hindi shorthand at a speed of 100 words per minute from recognized institutions / council. 3. It is mandatory to pass the certificate (score card) of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by the Department of Science and Technology. 4. It is mandatory to take a one -year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following recognized institutions - <ol style="list-style-type: none"> (i) Diploma from any University recognized by U.G.C.. (ii) Diploma from any free University recognized by UGC. (iii) Examination of the diploma level. (iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College. (v) One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certificate granted by the National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or the State Council of Vocational Training (SCVT), Madhya Pradesh. 5. In addition to computer diploma from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid :. <ol style="list-style-type: none"> (i) B.E.(CSE/IT)/MCA/BCA /M.Sc. (ITCS)/ *B.Sc. (IT/ CS) M.Tech/ M.E, etc. (ii) Polytechnic Diploma in Computer Finance/Computer Application and Information Technology etc. 6. B.Sc/B.Com/Degrees which involve teaching of only one computer subject shall not be valid. 	<p>* It is mentioned in the Circular No. C-3-7/2015/1/3 of Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, issued on 29th May, 2019 that the Universities of the State are not granting the Degree of B.Sc. (I.T./C.S.) but only Degree of B.Sc is granted. Therefore, it is clarified in this regard that the holder of B.Sc. Degree granted by the University shall be deemed to have passed the B.Sc. examination in IT/Computer Science with other subjects, then on the basis of the marksheet of IT/Computer Science shall be considered equivalent to B.Sc. (I.T./C.S.).</p>

Schedule IV (A)

(see rule 14)

Member of Promotion System, necessary experience and Departmental Promotion Committee

Clerical Cadre - Director Health Services Madhya Pradesh

S. No.	The name of post from which promotion is to be made	The name of post to which promotion is to be made	Compulsory requisite experience for that post	Names of members of departmental promotion committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Category-1</u>					
1.	Assistant Superintendent/ Stores Inspection Officer /Senior Auditor/Senior Accountant	Superintendent	5 Years	1. Additional Director/Joint Director (Administration) - Chairman 2. Joint Director - Member 3. Deputy Director (Office establishment) - Member 4. Administrative Officer (Office Establishment) - Member-Secretary 5. Equivalent officer belongs to Scheduled Castes /Scheduled Tribes/Other Backward Classess category - Member	-
2.	Assistant Grade-I	Assistant superintendent	5 Years	- do -	-
3.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 Years	- do -	-
4.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 Years	- do -	-
5.	Assistant Grade-III	Field Evaluation worker	1. Bachelor of Mathematics, Statistics, Commerce, or Economics 2. Service Experience - 5 Years	- do -	-
<u>Category-2</u>					
1.	Senior Auditor (Departmental) / Senior Accountant	Store inspection officer	2 Years	- do -	-
2.	Accountant	Senior Auditor / Senior Accountant	1. Based on consent letter. 2. 5 Years 3. Passed Accounting Training Examination. [On passing the Sub-Accounts Services (SAS) examination, the pay scale shall be payable to the senior auditor 9300-34800+3600 Grade Pay]	- do -	-
3.	Assistant Grade-II / Junior Accountant (purchasing) or store / Assistant Grade-III	Accountant	1. Based on consent letter. 2. 5 Years 3. Passed Accounts Training examination. 4. 3 years for Junior Accountant (Purchasing / Store) and 8 years for Assistant Grade-III.	- do -	-

S. No.	The name of post from which promotion is to be made	The name of post to which promotion is to be made	Compulsory requisite experience for that post other	Names of members of departmental promotion committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Assistant Grade-III	Junior Accountant (Purchasing or Store)	1. Based on consent letter. 2. 3 Years experience 3. Passed Accounts Training Examination.	- do -	-
Category -3					
1.	Stenographer (Hindi / English) Class-III	Personal Assistant	05 Years	- do -	-
2.	Stenotypist	Stenographer (Hindi) Class-II	1. 05 years 2. On completion of the prescribed qualification for appointment to the post of Stenographer (at a speed of 100 words per minute). 3. Such Stenotypists, who do not fulfill the prescribed qualification for the post of Stenographer, shall be eligible for promotion to the post of Assistant Grade-II.	- do -	Government of Madhya Pradesh Finance Department's Circular No. F 8-6/2015/Rule /4, dated 19.07.2017 the post structure, Pay Scale and promotion of Ministerial Services (Clerical Staff). shall come into force from 1 st January, 2016
Category -4					
1.	Publicity Assistant (B.C.G.)	Deputy Editor	05 Years	- do -	-
Category -5					
1.	Data Entry Operator	Assistant Programmer	1. 10 years 2. Certificate / Diploma in Computer Application Course from a recognized University / Institute	- do -	-

Notes :

- As per the Circular No. F 8-6/2015/Rules/Four of the Finance Department, Government of Madhya Pradesh issued on 19th July, 2017 amendments relating to the creation of post, pay scale and promotion for Ministerial Services (Clerical Staff) shall be applicable from 1st January, 2016.
 - By the Circular No. F 8-6/2015/Rules/Four of the Finance Department, Government of Madhya Pradesh issued on 19th July, 2017, Assistant Grade-I /Accountant/Auditor /Chief Clerk is sanctioned a revised pay scale of P.B.-1 (5200-20200) + 2800 G.P. from 1st January, 2016. In pursuance of Circular dated 19th July, 2017 of the Finance Department, Government of Madhya Pradesh, the Accountant of the Directorate who are promoted to the post of Junior Auditor shall be eligible for the sanctioned pay scale of Senior Auditor P.B.-2 (9300-34800) + 3200 G.P.

- (b) As per the Circular No. F 8-6/2015/Rules/Four of the Finance Department, Government of Madhya Pradesh issued on 19th July, 2017, in the new structure the pay scale of Junior Auditor is P.B.-1 (5200-20200) + G.P. 2800 is made equivalent to the post of Accountant. Due to sanctioned of post of Junior Auditor in the pay scale of P.B.-1 (5200-20200) + G.P. 2800 under the department previously and as a result of provision of promotion on the said post from the post of Accountant, the 9 posts of Junior Auditor is merged in the next promotion post of Accountant i.e. post of Senior Auditor, as per the new provision.
2. Such Class-IV employees who have the desired educational qualification for appointment to the post of Assistant Grade-III, should be appointed on the said post with the condition on the probation period of 2 years with the condition that they were organized by the Department of Science and Technology during this period. It shall be compulsory to have a Computer Proficiency Certification examination (CPCT) certificate (score card) and it shall be mandatory to get a one -year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following, namely:-
- (i) Diploma from any University recognized by the U.G.C.
 - (ii) Diploma from any free University recognized by the U.G.C.
 - (iii) DOEACC Examination of the diploma level .
 - (iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.
 - (v) One -year "Computer Operator and Programming Assistant" (C.O.PA.) Certificate provided by National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or State Vocational Training Council (SCVT), Madhya Pradesh.
3. In addition to computer diploma from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid:-
- (i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc (IT / CS) / B.Sc. (IT/ CS)/ M.Tech/ M.E. and so on .
 - (ii) AICTE Polytechnic Diploma in Computer Finance/Computer Application and Information Technology etc.
4. B.Sc/B.Com/degrees which include only a subject of computer shall not be valid.
5. If this qualification is not obtained by the concerned employee in the probation period of 2 years, then they shall be reverted to their original Class-IV post.
6. Class-IV employees above the age of 45 years shall be exempted from the condition supra in point No. 5.

Schedule IV (B)

(see rule 14)

Member of Promotion System, necessary experience and Departmental Promotion Committee**Division / District Level Clerical Cadre****Sub-ordinate offices under Directorate of Health Services**

S. No.	The name of post from which promotion is to be made	The name of post to which promotion is to be made	Compulsory requisite experience for that post other	Names of members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Superintendent/Junior Accounts Officer/Auditor (Senior Auditor)	Office Superintendent	5 Years	Divisional Promotion Committee 1. Senior most Chief Medical and Health Officer - Chairman 2. Deputy Director, Health Services (Malaria or Leprosy Officer Grade-I) - Member 3. District Family Welfare cum Health Officer (DHO) - Member 4. Equivalent officer belongs to SC/ ST/OBC category - Member
2.	Accountant / Assistant Grade-I (Chief Clerk) / Camp Coordinator / Accountant (M.D.T.)	Assistant Superintendent / Junior Accounts Officer / Auditor (Senior Auditor)	1. 3 years 2. Passed accounting training for Junior Accounts Officer/ Auditor (Senior Auditor)	--- do ---
3.	Assistant Grade-II / Steward/Cashier/Assistant Accountant / Junior Auditor / Accountant-cum-Storkeeper-cum-Clerk	Accountant / Assistant Grade-I (Chief Clerk) / Camp Coordinator / Manager Medical Store / Accountant (MDT)	1. 3 years 2. Passed Accounts Training Examination (for the post of Accountant/Accountant (M.D.T.)	--- do ---
4.	Assistant Grade-III / Assistant Steward (Steward Junior) / Clerk-cum-Typist / Computer-cum-Clerk	Assistant Grade-II/ Steward/Cashier/Assistant Accountant/Junior Auditor/Accountant-cum -Steward -cum- Clerk	5 Years	--- do ---
5.	Assistant Grade-III/Clerk-cum-Typist/Computer-cum- Clerk	Computer	3 Years	--- do ---
6.	Assistant Steward (Steward Junior)	Steward	5 Years	--- do ---
7.	Steward	Dietitian	5 Years	--- do ---

S. No.	The name of post from which promotion is to be made	The name of post to which promotion is to be made	Compulsory requisite experience for that post other	Names of members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Statistics Investigator / Senior Computer / Field Evaluation Worker/ Accountant (Directorate)	Assistant Statistical Officer	(1) Three years experience in Statistical Investigator / Field Assessment Worker/Accountant (Directorate) (2) Five years experience in Senior Computer/Statistical Investigator (Junior)	Directorate Promotion Committee 1. Additional Director/Joint Director (Administration) - Chairman 2. Joint Director - Member 3. Deputy Director (Estt.) - Member 4. Administrative Officer (Estt.) - Member-Secretary 5. Equivalent officer belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes category - Member
9.	Senior Computer/ Statistics Investigator (Junior)	Statistical Investigator	3 Years	Divisional Promotion Committee 1. Senior most Chief Medical and Health Officer - Chairman 2. Deputy Director, Health Services (Malaria or Leprosy Officer Grade-I) - Member 3. District Family Welfare-cum-Health Officer - Member 4. Equivalent officer belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes category - Member

Note -

1. Such Class-IV employees who have the desired educational qualification for appointment to the post of Assistant Grade-III, shall be appointed on the said post with the condition on the probation period of 2 years with the condition that they were organized by the Department of Science and Technology during this period. It shall be compulsory to have a Computer Proficiency Certification Test (CPCT) certificate (score card) and it shall be mandatory to get a one year Computer Diploma / Certificate Examination from any one of the following, namely:-
 - (i) Diploma from any University recognized by the U.G.C.
 - (ii) Diploma from any free University recognized by the U.G.C.
 - (iii) DOEACC Examination of the diploma level.

- (iv) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.
- (v) One year "Computer Operator and Programming Assistant" (C.O.P.A.) Certificate provided by National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or State Vocational Training Council (SCVT), Madhya Pradesh.
2. In addition to computer diploma from the above recognized institutions, the following qualification shall also be valid:-
- (i) B.E. (CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc (IT / CS) / B.Sc. (IT/ CS)/ M.Tech/ M.E. and so on .
- (ii) AICTE Polytechnic Diploma in Computer Finance/Computer Application and Information Technology etc.
3. B.Sc/B.Com/degrees which include only a subject of computer shall not be valid.
4. If this qualification is not obtained by the concerned employee in the testing period of 2 years, then they shall be reverted to their original Class-IV post.
5. Class-IV employees above the age of 45 years shall be exempted from the condition supra in point No. 4.

Schedule-V

Classification into District, Division and State Cadre for the Purpose of Seniority of the Posts Mentioned in Schedule-I (a) and (b)

District Level	No.	Division Level	No.	State Level
Nil		Schedule-I (b)		All posts of Schedule-I (a)
	1.	Accountant	1.	Office Superintendent (Division)
	2.	Junior Auditor	2.	Junior Accounts Officer
	3.	Assistant Accountant	3.	Assistant Superintendent
	4.	Accountant-cum-Storekeeper-cum- Clerk	4.	Management Medical Store
	5.	Assistant Grade-II/Cashier	5.	Senior Auditor
	6.	Computer	6.	Camp Coordinator
	7.	Assistant Grade-III/Steno Typist/ Diet Clerk/Assistant Steward/ Computer cum Clerk/Clerk-cum- Typist/Record Keeper	7.	Accountant (MDT)
	8.	Steward	8.	Assistant Grade-I (Chief Clerk)
	9.	Data Entry Operator	9.	Dietitian
			10.	Assistant Statistics Officer
			11.	Statistical Investigator
			12.	Senior Computer (Leprosy)
			13.	Stenographer

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MAYANK AGARWAL, Dy. Secy.